UPBL010038862019

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः श्री अनिल कुमार झा, (एच0 जे0 एस0)

सत्र परीक्षण संख्या-173/2019

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

प्रति

1- शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा पुत्र अच्छेलाल वर्मा,
2- लक्ष्मण वर्मा पुत्र शिवमुनी वर्मा,
3- शिवमुनी वर्मा पुत्र सीताराम वर्मा,
4- छट्टू वर्मा पुत्र देवनरायन वर्मा,
5- अरविन्द वर्मा पुत्र छट्टू वर्मा,
6- शिवजी वर्मा पुत्र सूरज उर्फ सूरुज वर्मा,
7- जीतन वर्मा पुत्र श्रीकिशुन वर्मा,
8- जवाहिर वर्मा पुत्र शिवजी वर्मा,
9- मंगरू वर्मा पुत्र शिवपूजन वर्मा
निवासीगण-ग्राम कुशहर, थाना-सहतवार, जिला-बलिया ।

..........अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या-93/2019
धारा-147,148,302/149,307/149,323/149, 324/149,325/149,504,506 भा०दं०सं०
थाना- सहतवार, जिला-बलिया।

<u>निर्णय</u>

वर्तमान सत्र परीक्षण विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 20.08.2019 से अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा निवासीगण-कुशहर, थाना-सहतवार, जिला-बलिया के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-93/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना सहतवार, जनपद बलिया विचारण हेतु उपार्पित किए जाने पर सत्र न्यायालय में प्राप्त होकर पंजीकृत हुआ, तत्पश्चात अभियुक्तगण उपरोक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक लिखित तहरीर प्रदर्श क-03 दिनांकित 29.06.2019 के अनुसार वादी/सूचनाकर्ता राजनरायण पुत्र परमानन्द वर्मा निवासी ग्राम कुशहर थाना सहतवार बलिया का रहने वाला हूँ । आज दिनांक 29.06.2019 को समय करीब सुबह 08.30 ए०एम० के लगभम हम अपना खेत बोने गए थे कि इसी बीच मेरे के गांव के शुक्ला पुत्र अच्छेलाल, लक्ष्मण

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.08.06 16:48:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुत्र शिवमुनी, शिवमुनी पुत्र सीताराम, छट्टू पुत्र देवनारायण, अरविन्द पुत्र छट्टू, शिवजी पुत्र सूरज, जीतन पुत्र श्रीकिशुन, जवाहिर पुत्र शिवजी, मंगरू पुत्र शिवबचन व दो-तीन व्यक्ति और लाठी, डण्डा, टांगी, फरसा लेकर जान से मारने की नियत से हम लोगों को मारने पीटने लगे, जिससे मुझे व मेरे भाई श्याम नारायण, मेरा का लड़का अवधेश एवं रविन्द्र कुमार व मेरी पत्नी दुर्गावती देवी को सिर व बाहों में काफी चोटें आई है । जब हम शोर किए तो मॉ-बहन की गाली एवं जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए । मारपीट में मेरे भाई श्याम नारायण को काफी चोटें आई थी, जिन्हें इलाज हेतु बलिया ले जा रहा था तो रास्ते में मृत्यु हो गई । प्रार्थनापत्र दे रहा हूँ मुकदमा लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ।

वादी/सूचनाकर्ता के यथोक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर पुलिस थाना सहतवार जनपद बलिया में दिनांक 29.06.2019 को समय 13.43 बजे शुक्ला, लक्ष्मण, शिवमुनी, छट्टू, अरविन्द, शिवजी, जीतन, जवाहिर, मंगरू व एक अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-93/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया तथा विवेचना का दायित्व इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह को सुपुर्द किया गया।

विवेचना इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह द्वारा प्रारम्भ करते हुए केस डायरी में चेक एफ०आई०आर० एवं कायमी जी०डी० की नकल करते हुए वादी राजनरायण वर्मा, रविन्द्र कुमार वर्मा, अवधेश कुमार वर्मा, चन्दा देवी, दुर्गावती देवी का बयान लेखबद्ध किया गया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किया गया।

विवेचनोपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोपपत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित किया गया।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा दिनांक 20.08.2019 को अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, विशमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के विरूद्ध धारा- 147, 148, 149, 302, 307, 323, 324, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु उक्त प्रकरण सत्र सुपुर्द किया गया।

मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.2019 को अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के विरूद्ध धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 324/149, 325/149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा आरोप को अस्वीकार किया गया तथा विचारण किए जाने की याचना की गई।

अभियोजनपक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु निम्नलिखित मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

मौखिक गवाहों की विवरण तालिका

अभियोजन साक्षी सं०	साक्षी के नाम	विवरण
1	कां० मुहर्रिर सुरेन्द्र कुमार पटेल	औपचारिक साक्षी
2	रविन्द्र कुमार वर्मा	तथ्य का चोटिल साक्षी
3	अवधेश कुमार वर्मा	तथ्य का चोटिल साक्षी

4	राजनरायन वर्मा	वादी/चोटिल
5	डॉ० रोहित रंजन	डाक्टर
6	चन्दा देवी	तथ्य की चक्षुदर्शी साक्षी
7	डॉ० संतोष चौधरी	पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक
8	उ०नि० मंतोष सिंह	औपचारिक साक्षी
9	दुर्गावती देवी	तथ्य की चोटिल साक्षी
10	निरीक्षक शिव मिलन	द्वितीय विवेचक
11	निरीक्षक दिग्विजय सिंह	प्रथम विवेचक
12	उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह	पंचायतनामाकर्ता
13	से०नि० पुलिस उपाधीक्षक अनिल चन्द तिवारी	तृतीय विवेचक
14	डॉ० संजय कुमार	डाक्टर
15	हे०कां० गिरीश यादव	औपचारिक साक्षी

प्रदर्श वाले दस्तावेजों का विवरण तालिका

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	जिसके द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया गया है
1, 2	जी०डी०, चेक एफ०आई०आर०	कां०मु० सुरेन्द्र कुमार पटेल पी०डब्लू०-1
3	लिखित तहरीर	वादी राज नरायण वर्मा पी०डब्लू०-4
4, 5, 6, 7	क्रमशः मेडिकल रिपोर्ट मजरूब राज नरायण, रविन्द्र, अवधेश व दुर्गावती	डॉ० रोहित रंजन पी०डब्लू०-5
8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	डॉ० संतोष चौधरी पी०डब्लू०-7
9	फर्द बरामदगी लाठी	उ०नि० मंतोष सिंह पी०डब्लू०-8
10	फर्द बरामदगी फावड़ा	निरीक्षक शिवमिलन पी०डब्लू०-10
11	नक्शा नजरी घटनास्थल	निरीक्षक दिग्विजय सिंह पी०डब्लू०-11
12, 13, 14, 15, 16, 17	पंचायतनामा, चिट्ठी सी०एम०ओ०, चिट्ठी आर०आई०, चालान नाश, नमूना मुहर, फोटो नाश,	उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह पी०डब्लू०-12
18, 19	आरोपपत्र सं०-107/19, पूरक आरोपपत्र सं०-ए 107/19	पुलिस उपाधीक्षक अनिल चन्द तिवारी पी०डब्लू०-13
20, 21, 22	मजरूबान राजनारायण, रविन्द्र व अवधेश का एक्स-रे रिपोर्ट	डॉ० संजय कुमार पी०डब्लू०-14

वस्तु प्रदर्श वाले दस्तावेजों का विवरण तालिका

वस्तु प्रदर्श संख्या	वस्तु प्रदर्श का विवरण	जिसके द्वारा प्रमाणित/सत्यापित किया गया है
1, 2	कपड़ा व डण्डा	निरीक्षक दिग्विजय सिंह

		पी०डब्लू०-11
3, 4, 5, 6, 7, 8	राजनरायण का एक्स-रे प्लेट क्रमांक 1789, रविन्द्र का एक्स-रे प्लेट क्रमांक 1799 तीन अदद प्लेट व अवधेश का एक्स-रे प्लेट क्रमांक 1800 दो अदद प्लेट	डॉ० संजय कुमार पी०डब्लू०-14
9, 10	कपड़ा व फावड़ा	हे०कां० गिरीश यादव

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण शुक्का उर्फ शुकुल वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, जवाहिर वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, मंगरू उर्फ सुरेन्द्र वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, शिवमुनी वर्मा का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किया गया।

कां० मुहर्रिर सुरेन्द्र कुमार पटेल अभियोजन साक्षी संख्या-01 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 29.06.2019 को भी उपरोक्त पद व पते पर कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा श्री राजनारायण पुत्र परमानन्द वर्मा साकिन कुशहर थाना सहतवार जिला बलिया द्वारा एक लिखित तहरीर मेरे कार्यालय में दिया गया । जिसके आधार पर मु०अ०सं०-93/19, धारा-147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506 भा०दं०सं० विरूद्ध शुक्का व अन्य नौ का चिक एफ०आई०आर० मेरे निर्देशन पर मेरी मौजूदगी में सी.सी.एन.एस.एस. द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर ने टाइप किया था । उसकी कायमी जी०डी० सं०-31 दिनांक 29.06.2019 समय 13.43 बजे मेरे निर्देशन में सी.सी.टी.एन.एस.एस. पर कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा तैयार किया गया था । वह कायमी जी०डी० की प्रति पत्रावली में शामिल कां०सं०- 7क/3 है, जिसे प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क-1** तथा चेक एफ०आई०आर० पत्रावली में शामिल का०सं० 4क/1 लगायत 4क/2 है, प्रमाणित करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया । विवेचक ने मेरा बयान लिया था ।"

रविन्द्र कुमार वर्मा अभियोजन साक्षी संख्या-02 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "घटना दिनांक 29.06.2019 को सुबह 8.30 बजे की है । उस दिन मैं मेरे पिता राजनारायण मेरे भाई अवधेश मेरी मॉ दुर्गावती तथा चाचा श्यामनारायण खेत बोने गए थे । हमारे खेत के बगल में गांव के शुकुल वर्मा वगैरह के खेत है । शुकुल वर्मा तथा लक्ष्मण वर्मा वगैरह मेरे खेत का डाण तोड़ रहे थे । मेरे चाचा श्यामनारायण ने मना किया तभी एकाएक शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा तथा जीतन वर्मा एक राय होकर लाठी, डण्डा, फरसा, फावड़ा से लैस होकर जान से मारने की नियत से मेरे चाचा को मारने लगे । हम लोग बीच बचाव किए तो उपरोक्त लोग हम लोगों को भी मार कर बुरी तरह घायल कर दिए । मेरे चाचा का सिर फट गया था तथा मौके पर ही बेहोश हो गए थे । चाचा को बेहोशी हालत में अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई । मेरी चोटों का डाक्टरी मुआयना व इलाज सरकारी अस्पताल रेवती में हुआ था । दरोगा जी ने बयान लिया था ।"

अवधेश कुमार वर्मा अभियोजन साक्षी संख्या-03 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "घटना दिनांक 29.06.2019 के लगभग 08.30 बजे सुबह की है । उस दिन मैं, मेरे पिता राजनरायण, मॉ दुर्गावती, भाई रविन्द्र व चाचा श्यामनरायण अपने खेत में मूंगफली बोने के लिए गए थे । हमारे खेत के पश्चिम गांव के शुक्का वर्मा, लक्ष्मण वर्मा वगैरह का खेत है । हमारे खेत व शुक्का वर्मा के खेत के मध्य स्थित मेढ़ को शुक्का वर्मा वगैरह तोड़ रहे थे । मेरे चाचा श्याम नरायण ने तोड़ने से मना किया इसी बात पर नाराज होकर मेरे गांव के शुक्का वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, छट्ठू वर्मा, शिवमुनी, शिवजी, अरविन्द, जवाहिर, जीतन व मंगरू एक राय होकर लाठी, डण्डा, फावड़ा से जान से मारने की नियत से मेरे चाचा श्यामनरायण को मारने लगे । हम लोग बचाने गए तो उपरोक्त सभी मुल्जिमान हम लोगों को बुरी

तरह से मारे-पीटे । मुल्जिमान के मारने से मेरे सिर में गम्भीर चोट आई थी, सिर फट गया था तथा शरीर में अन्य जगह भी चोटें आई थी । उपरोक्त मुल्जिमान के मारने से मेरे चाचा श्याम नरायण के सिर में गम्भीर चोट आई वे गिरकर मौके पर ही बेहोश हो गए । शोर पर आस-पास के खेतों में काम करने वाले लोग व राहगीर आ गए तब मुल्जिमान मौके से भागे । मेरे चाचा व हम सभी घायल सरकारी अस्पताल रेवती पर गए जहां मेरे चाचा की गम्भीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने तत्काल जिला अस्पताल बलिया ले जाने के लिए कहा । हम सभी लोग जिला अस्पताल जा रहे थे कि मेरे चाचा श्याम नरायण की मृत्यु रास्ते में ही हो गई । जिला अस्पताल जाने पर डॉक्टर ने मेरे चाचा श्याम नरायण को मृत कहते हुए उनके शव को रखवा लिया तथा हम लोगों को मरहम पट्टी करके रेवती अस्पताल जाने के लिए कहा । घटना के संबंध में मेरे पिता राज नरायण ने एक दरखास्त लिखवाया था । दरखास्त थाना सहतवार पर दिए । थाना सहतवार पर उनके साथ हम भी गए थे । दरोगा जी ने सिपाही के साथ रेवती अस्पताल हम लोगों को भेजा जहॉ हम लोगों की चोटों का डाक्टरी मुआयना हुआ । घटना के संबंध में दरोगा जी ने पूछताछ किया था ।"

वादी राजनराण वर्मा अभियोजन साक्षी संख्या-04 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "यह घटना दिनांक 29.06.2019 की समय करीब 08.30 बजे सुबह की है । उस दिन मैं मेरा भाई श्याम नरायण, मेरी पत्नी दुर्गावती देवी, लड़के रविन्द्र कुमार वर्मा, अवधेश कुमार खेत में मूंगफली की बुआई करने के लिए गए थे। मेरे खेत के पश्चिमी छोर का डाड़ टूटा था जिसे मेरा भाई श्याम नरायण ठीक कर रहा था कि इसी दौरान उसी मेढ़ के पूर्व के विवाद को लेकर शुकुल वर्मा अपने हाथ में फरसा व लक्ष्मण वर्मा टांगी तथा शिवमुनी फावड़ा तथा शिवजी फावड़ा तथा छट्ठू वर्मा व अरविन्द वर्मा, जीतन वर्मा, मंगरू वर्मा व जवाहिर वर्मा अपने हाथ में लाठी, डण्डा लिए आ गए तथा भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे । मना करने पर उपरोक्त सभी लोग आवेशित होकर अपने हाथ में लिए लाठी, डण्डा व फावड़ा तथा फरसा व टांगी से मेरे भाई श्याम नरायण को जान से मारने की नियत से मारने लगे । उनको बचाने मेरी पत्नी दुर्गावती, मैं, मेरे लड़के रविन्द्र व अवधेश गए कि उपरोक्त लोग हम लोगों को भी मारने पीटने लगे जिससे मुझे, मेरे भाई श्याम नरायण, लड़के रविन्द्र व अवधेश तथा पत्नी दुर्गावती को काफी गम्भीर चोटें आई । हम लोगों के शोर पर मेरे परिवार के अन्य लोग व ग्रामवासी भी मौके पर आ गए तो उपरोक्त मुल्जिमान हम लोगों को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते चले गए । परिवार के अन्य सदस्य व गांव के अन्य लोगों के द्वारा रेवती सरकारी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया । जहॉ मेरे भाई श्याम नयारण की स्थिति को नाजुक देखते हुए सरकारी अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया गया । बलिया ले जाते समय रास्ते में ही मेरे भाई श्याम नरायण की मृत्यु हो गई । अन्य चुटहिलों का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ । प्राथमिक उपचार के बाद जब मैं थाना पर आया और अपने साथ अस्पताल से एक व्यक्ति से जिसे मैं नहीं जानता था बोलकर तहरीर लिखा कर व पढ़वाकर सुनने के बाद अपने बाए हाथ से हस्ताक्षर बनाया था क्योंकि मेरा दाहिना हाथ उपरोक्त मुल्जिमान के मारने से टूट गया था । उक्त तहरीर जो मैंने थाने पर दिया था, वह पत्रावली में संलग्न कागज सं०-4 क/3 तहरीर मेरे सामने है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया । घटना के समय चोट लगने के कारण हम चुटहिलों के कपड़ों पर ब्लड लगा था, जिसे मैं विवेचक को दे रहा था लेकिन वे कपड़ों को नहीं लिए और कहे कि इसको रखे रहना काम आएगा, उन कपड़ों को आज मैं न्यायालय के समक्ष लाया हूँ, जिसमें एक गमछा चेकदार लाल व एक गमछा सफेद फुलदार, एक सफेद टी शर्ट तथा लाल किनारी वाला गमछा, एक नेकर/चड्डी, एक टी-शर्ट निला कलर, उपरोक्त सभी कपड़ों को न्यायालय को दिखाया गया तथा न्यायालय की अनुमति से क्रमशः **वस्तु प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6** डाला गया । दरोगा जी इस घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ किए थे ।

डॉ० रोहित रंजन अभियोजन साक्षी संख्या-05 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ

कथन किया गया है कि "दिनांक 29.06.2019 को सी०एच०सी० रेवती पर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था कि उस दिन राजनरायन उम्र लगभग 48 साल जिसे कां० राजकुमार यादव द्वारा लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण 04.15 पी०एम० पर तैयार किया गया जो साकिन कुशहर थाना सहतवार का निवासी था, जिसके पिता का नाम परमानन्द था । उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई :-

चोट सं०-1- बाए कंधे पर छिला हुआ था, जिसकी लम्बाई 7.5 x 2.5 से०मी० था ।
चोट सं०-2- निलगू निशान जो कि बांए कंधे पर था, जिसकी लम्बाई 7.5 x 2.0 से०मी० था ।
चोट सं०-3- दाए हाथ में तथा में दर्द और सूजन था ।
चोट सं०-4- बांए पीठ की तरफ निलगू निशान था, जिसकी लम्बाई 7.5 x 2 से०मी० था ।
चोट सं०-5- दाहिने पीठ के निचले हिस्से में तीन छीला हुआ का निशान था, जिसमें (A) 2.5 x 1 से०मी० (B) .5 x .3 से०मी० (C) .2 x .1 से०मी० था ।
चोट सं०-6- कमर के पास दर्द की शिकायत थी ।
चोट सं०-7- बांऐ भौ के ऊपर छीला हुआ जिसकी लम्बाई 3.5 x 2.0 से०मी० थी, जिससे रक्तस्राव मौजूद था ।

चोट सं०-3 की गम्भीरता को देखते हुए मरीज को एक्स-रे कराने की सलाह दी गई । मरीज को निगरानी में रखा गया था । अग्रीम उपचार हेतु जिला अस्पताल बलिया रेफर किया गया । उपरोक्त सभी चोटें किसी सख्त कुन्दालय से पहुँचाई गई होगी । मेरी राय में उपरोक्त सभी चोटें दिनांक 29.06.2019 को 08.30 बजे सुबह की हो सकती है ।

रविन्द्र कुमार पुत्र राजनरायन साकिन कुसहर थाना सहतवार जिला बलिया जिसे कां० राजकुमार द्वारा लाया गया था, उसी दिन 03.39 पी०एम० पर उसके चोटों का मेडिकल मुआयना मेरे द्वारा किया गया । जिसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई-

चोट सं०-1- ललाट के मध्य तथा ऊपरी हिससे में फटा हुआ था, जिसकी लम्बाई 5.0 x 1.5 से०मी० x हड्डी की गहराई तक था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था ।
चोट सं०-2- दाए हाथ में दर्द और सूजन की शिकायत थी ।
चोट सं०-3- दाए हाथ में निलगू निशान 2.5 x 1.5 से०मी० था ।
चोट सं०-4- बाए हाथ की पहली अंगूली के नीचे के हिससे में छिला हुआ था, जिसकी लम्बाई .1 x .2 से०मी० था ।
चोट सं०-5- दाए जांघ में तीन जगह छिला हुआ था (A) 2.5 x 1 से०मी० (B) 5.0 x 1.0 से०मी० (C) 1.5 x 1.0 से०मी० था ।
चोट सं०-6- दाए एंकल में दर्द था सूजन की शिकायत थी ।
चोट सं०-7- दाहिने पैर में दर्द तथा सूजन की शिकायत थी ।
चोट सं०-8- बाए कंधे पर निलगू निशान 5.5 x 1.0 से०मी० की थी ।

मरीज को अग्रिम उपचार तथा एक्स-रे के लिए जिला चिकित्सालय बलिया रेफर किया गया था । चोट दिनांक 29.06.2019 को सुबह 8.30 बजे की हो सकती है । उपरोक्त सभी चोटें किसी सख्त कुन्दालय से पहुँचाई हो सकती है ।

अवधेश कुमार पुत्र राजनरायन उम्र 17 वर्ष साकिन कुसहर थाना सहतवार जिला बलिया को कां० राजकुमार यादव द्वारा लाया गया था । उसी दिन 3.35 पी०एम० पर उसके चोटों का परीक्षण किया गया और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें थी-

चोट सं०-1- सिर के दाहिने हिस्से में फटा हुआ 5.0 x 1.0 से०मी० x मांस पेशी की गहराई तक था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था ।

चोट सं०-2- सिर के बाए हिस्से में फटा हुआ 3.0 x 1.5 से०मी० x मांसपेशी की गहराई तक था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था ।

चोट सं०-3- पीठ के बांए तथा उपरी हिस्से में छिला हुआ 2.0 x 1.0 से०मी० था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था ।

चोट सं०-4- कमर के दांऐ हिस्से में निलगू निशान 10.5 x 2.5 से०मी० था ।

चोट सं०-5- पीठ के दांऐ तथा उपरी हिससे में निलगू निशान 7.5 x 3.0 से०मी० था ।

चोट सं०-6- दाहिने हाथ में निलगू निशान 2.5 x 2.0 से०मी० था ।

चोट सं०-7- दांऐ हाथ तथा बाए हाथ में दर्द की शिकायत थी ।

चोट सं०-8- दोनों पैर के मांसपेशी में दर्द की शिकायत थी ।

चोटों को देखते हुए मरीज को उपचार तथा एक्स-रे हेतु जिला चिकित्सालय बलिया के लिए रेफर किया गया । उपरोक्त सभी चोटें दिनांक 29.06.2019 सुबह 8.30 बजे की हो सकती है । उपरोक्त सभी चोटें सख्त कुन्दालय से पहुॅचाई हो सकती है ।

दुर्गावती पत्नी राजनरायन साकिन कुसहर थाना सहतवार जिला बलिया जिसे उपरोक्त कां० राजकुमार द्वारा लाया गया था, उसी दिन 4.05 पी०एम० पर उसके शरीर की चोटों का निरीक्षण किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गई-

चोट सं०-1- बांऐ हाथ के तीसरे और चौथे अंगूली के मध्य में फटा हुआ 3.5 x 1.0 से०मी० था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था ।

चोट सं०-2- दोनों जांघ में निलगू निशान 5.0 x 1.0 से०मी० था ।

चोट सं०-3- कमर के हिस्से में दर्द की शिकायत थी ।

उपरोक्त चोटें दिनांक 29.06.2019 सुबह 8.30 बजे की हो सकती है तथा ये चोटें किसी सख्त कुन्दालय द्वारा पहुॅचाई गई हो सकती है ।

पत्रावली में संलग्न कागज सं०-8क/4 व 8ग/5 राजनरायन पुत्र परमानन्द की आघात आख्या मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क-04** डाला गया तथा कागज सं०-8क/7 व 8क/8 रविन्द्र की आघात आख्या मेरे लेख व हस्ताक्षर में हे, जिसको तसदीक करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क-5** डाला गया । पत्रावली में संलग्न कागज सं०-8क10 व 8क11 अवधेश कुमार का आघात आख्या मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसको तसदीक करता हूॅ जिस पर **प्रदर्श क-6** डाला गया । पत्रावली में संलग्न कागज सं०-8क12 व 8क13 दुर्गावती देवी की आघात आख्या मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे तसदीक करता हूॅ जिस पर **प्रदर्श क-7** डाला गया ।"

चन्दा देवी अभियोजन साक्षी संख्या-06 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "घटना दिनांक 29.06.2019 की है । उस दिन मेरे पति श्यामनरायन वर्मा, जेठ राजनरायन वर्मा, जेठानी दुर्गावती तथा भतीजा अवधेश कुमार व रविन्द्र कुमार खेत बोने गए थे । उस दिन मैं उपरोक्त लोगों के लिए नाश्ता लेकर खेत पर गई तो देखी कि मेरे गांव के शुकुल उर्फ शुक्ला, लक्ष्मण, छट्ठू, शिवमुनी, जीतन, अरविन्द, जवाहिर, मंगरू व शिवजी तथा दो-तीन लोग और मिलकर मेरे पति श्याम नरायन वर्मा, जेठ राजनरायन वर्मा, जेठानी दुर्गावती तथा भतीजा रविन्द्र व अवधेश को मेढ़ तोड़ने के विवाद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से उपरोक्त मुल्जिमान शुक्ला उर्फ शुकुल, लक्ष्मण वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर, शिवजी, अरविन्द, छट्ठू, शिवमुनी व मंगरू जान मारने की नियत से लाठी, डण्डा व फावड़ा से हमला कर दिए और मेरे परिवार के लोगों को मारने पीटने लगे । शोर पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए तो उपरोक्त मुल्जिमान गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते भाग गए । उपरोक्त लोगों के मारने से मेरे पति श्याम नरायन वर्मा, जेठ राजनरायन, जेठानी दुर्गावती, भतीजे रविन्द्र और अवधेश को काफी चोटें आई । उपरोक्त मुल्जिमान हमारे परिवार के लोगों को अक्सर परेशन करते रहते थे । उन लोगों के

मारने से मेरे पति को काफी गम्भीर चोटें थी, वह मौके पर गिर गए थे तथा उनका सिर फट गया था तथा वह बेहोश हो गए थे । हम लोग उनको उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, जिसका मुकदमा मेरे जेठ के द्वारा लिखवाया गया था । हमला के समय शिवमुनी के हाथ में फावड़ा व अन्य लोगों के हाथ में लाठी, डण्डा था । सब लोगों ने मिलकर मेरे पति व परिवार के लोगों को मारापीटा था । विवेचक इस घटना के संबंध में मेरा बयान लिए थे ।"

डॉ० संतोष चौधरी अभियोजन साक्षी संख्या-07 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 29.06.2019 को जिला चिकित्सालय बलिया में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात था । उस दिन मेरी ड्यूटी पोस्ट मार्टम हाउस बलिया में लगी हुई थी । उस दिन मृतक श्याम नरायन पुत्र परमानन्द वर्मा साकिन कुशहर थाना सहतवार जिला बलिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए कां० विनोद कुमार, विपिन कुमार व गिरीश कुमार थाना सहतवार जिला बलिया द्वारा लाया गया था जिसकी पहचान उमेश कुमार पुत्र स्व० वंशी लाल वर्मा द्वारा व रविशंकर पुत्र बनवारी निवासीगण सहतवार बलिया द्वारा किया गया था ।

वाह्य परीक्षण

मृतक की ऊचाई 150 से०मी० वजन 60 किलो । शव मे हाथ पैर दोनों में अकड़न मौजूद थी । उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गई थी-

1- लैसरेटेड वुन्ड सिर के बाए तरफ 6 से०मी० x 2 से०मी० हड़डी की गहराई तक जिसका विच्छेदन करने पर भारी आन्तरिक रक्तस्राव पाया गया व साथ में सिर की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया ।

2- बांऐ फोर आर्म में निलगू निशान व साथ में बांए अल्ना में फ्रैक्चर पाया गया ।

3- खराश युक्त निलगू निशान कमर के निचले हिस्से में दोनो तरफ 5 से०मी० x 3 से०मी० पाया गया ।

आंतरिक परीक्षण

मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी । मस्तिष्क का वजन 1180 ग्राम था । मस्तिष्क की दशा पूर्व में बताया जा चुका है । दोनों फेफड़े कन्जेस्टेड थे, दाहिने फेफड़े का वजन 410 ग्राम व बांए फेफड़े का वजन 370 ग्राम था । हृदय का वजन 290 ग्राम व दाहिना चेम्बर भरा हुआ था व बाया बिल्कुल खाली था । आमाशय में अधपचा खाना (Semi digested food) मौजूद था । छोटी आंत में तरल पदार्थ व गैस मौजूद थी । बड़ी आंत में मल पदार्थ व गैस पाया गया । लीवर 1390 ग्राम था आधा भरा हुआ पित्ताशय पाया गया प्लीहा का वजन 210 ग्राम । गुर्दा दाहिना 150 ग्राम व बाया 160 ग्राम था । मूत्राशय खाली था । मृत्यु का सम्भावित समय 08 से 12 घण्टे के आस-पास अनुमानित किया गया ।

मृत्यु का कारण- मृत्युपूर्व सिर में लगी चोट के कारण पाया गया । शामिल मिसिल का०सं०-10क/1 ता 10क/3 पी०एम० रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तसदीक करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क-8** डाला गया । बाद पोस्टमार्टम बाडी को कां० विनोद कुमार को सुपुर्द कर दिया । "

उ०नि० मंतोष सिंह अभियोजन साक्षी संख्या-08 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 30.06.2019 को थाना सहतवार पर उप निरीक्षक के पद पर तैनात था । उस दिन मैं प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय सिंह के साथ हमराह के रूप में ड्यूटी पर था । मेरे अलावा उ०नि० जगदीश विश्वकर्मा, कां० आशुतोष, कां० पंकज व कां० ऋषिकेश के साथ देख भाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधीगण व पेंडिंग विवेचना में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा इंस्पेक्टर साहब को सूचना मिली कि जो दिनांक 29.06.2019 को कुशहर गांव में घटना घटी थी उससे संबंधित अभियुक्त गांव से पहले बगिया में बैठे है जल्दी करें तो पकड़े जा सकते है । इस सूचना पर हम हमराहियान को

अवगत कराते हुए मुखबिर खास को साथ लेकर सरकारी वाहन यू०पी०-60 जी-0361 से मौके से थोड़ा पहले पहुंच कर गाड़ी खड़ा कर पैदल ही छिपते-छिपाते बगिया के पास पहुंचे तो मुखबिर दूर से ही बैठे दो व्यक्तियों की तरफ इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है और मुखबिर वहां से बताकर चला गया, तब पुलिस वाले एक बारगी दबिश देकर दोनों व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिए । पकड़े गए व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने छट्ठू वर्मा पुत्र देवनरायन वर्मा तथा दूसरे ने अपना नाम जीतन वर्मा पुत्र श्री किशुन वर्मा निवासीगण कुशहर थाना सहतवार जिला बलिया बताया । उपरोक्त अभियुक्तगण मु०अ०सं०-93/19, धारा 147, 148, 149, 307, 302, 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना सहतवार में नामजद अभियुक्त है से अवगत कराया गया । अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि घटना के समय हम लोग लाठी से रामनरायन वर्मा व उनके परिवार वालों को मार पीट कर भाग गए थे, लाठी को अपने घर के कोने में रखे है जिसे घर चलने पर दे सकते है । इस सूचना पर अभियुक्तगणों को साथ लेकर अभियुक्त जीतन ने अपने घर के पक्की मकान से एक लाठी निकाल कर दिया जिसकी लम्बाई लगभग पांच फुट दस इंच थी जो हल्की मोटी तथा गांठदार थी जिसमें रक्त लगा हुआ था । अभियुक्त ने बताया कि यह खून मारपीट से लगा है । इसके बाद हम लोग जीतन के घर से प्रस्थान कर अभियुक्त छट्ठू वर्मा के घर गए जहां से छट्ठू वर्मा ने अपने मड़ई के कोने से एक लाठी निकाल कर दिया जिसकी लम्बाई सात बालिस्त चार अंगूल थी तथा हल्की पतली बरामद हुई । बरामदशुदा लाठी एक रक्तरंजित व एक सादी कब्जा पुलिस में लिया गया जिसके संबंध में फर्द मौके पर ही प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय सिंह के बोलने पर हे०कां० विनोद कुमार यादव द्वारा लिखा गया । शामिल मिसिल का०सं०-6 क/1 मेरे सामने है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, तसदीक करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क-9** डाला गया । इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था । "

दुर्गावती देवी अभियोजन साक्षी संख्या-09 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "घटना दिनांक 29.06.2019 समय सुबह 08.30 बजे की है । उस दिन मैं अपने पति राजनरायण व देवर श्यामनरायण व अपने लड़के रविन्द्र कुमार व अवधेश के साथ अपने खेत में मूंगफली बोने गई थी । मेरे खेत के बगल में पश्चिमी मेढ़ तोड़ रहे थे । मेरे देवर श्यामनरायण ने मना किया तो वहॉ पर पहले से ही साजिश के तौर पर मौजूद शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनि वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, मंगरू वर्मा व जवाहिर वर्मा जो हाथ में लाठी, डण्डा, फावड़ा, से मेरे देवर श्यामनरायण को मारने लगे । मैं, मेरे पति राजनरायण व मेरे दोनों लड़के रविन्द्र कुमार व अवधेश दौड़कर बचाने गए तो उन सभी लोगों ने हम लोगों को भी मारा-पीटा जिससे मुझे सिर में चोटें आई तथा बाए हाथ की अंगुली में भी चोट आई तथा कमर में भी चोट आई तथा हम सभी लोगों के चोटों का ईलाज रेवती सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ था । जहॉ डॉक्टरों ने गम्भीर स्थिति को देखते हुए हम सभी लोगों को जिला अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया । जिला अस्पताल बलिया में हम सभी लोग गए जहॉ हम लोगों का इलाज हुआ व श्यामनरायण को डॉक्टर ने बताया की उनकी मृत्यु हो गई है । उपरोक्त सभी मुल्जिमान मेरे ही गांव के है जिन्हें मैं जानती पहचानती हूँ । इस घटना के संबंध में दरोगा जी मेरा बयान लिए थे ।"

निरीक्षक शिव मिलन अभियोजन साक्षी संख्या-10 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 01-07-2019 थाना सहतवार में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात रहा। थाना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं० 93/2019 अंतर्गत धारा 147,148,149,307, 302,504,506,323,324 भा०दं०सं० की विवेचना ग्रहण कर पर्चा नं० 3 किता किया जिसमें पूर्वकिता पर्चे का अवलोकन किया। दिनांक 02-07-2019 को पर्चा नं0 4 किता किया जिसमें गिरफ्तारी अभियुक्त शिवजी वर्मा, शुकुल वर्मा किया। पूछताछ पर बताया कि जिस फावड़े से मैंने रामनरायण व श्यामनरायण व उसके घर वालों को मारा था, उस फावड़े को मैं अपने घर के कोने में रखा

हूं मुझे ले चलने पर आपको दे सकता हूं तथा उक्त फावड़े पर अभी भी खून लगा हुआ है जिस पर अभियुक्त को मौके पर ले जाया गया। तब अभियुक्त गाड़ी से उतरकर आगे आगे चलकर अपने कमरे के कोने से एक फावड़ा उठाकर दिया तथा बताया कि यह वही फावड़ा है जिससे मैंने उस दिन मृतक श्यामनरायण व उसके घर वालों को मारा था। फावड़ा मिलने पर मैंने फावड़े का निरीक्षण किया था। फावड़े का फल लोहे का था जिस पर खून लगा हुआ था और खून सूख गया था। फावड़े में बेंत लगा हुआ था। फावड़े को मौके पर ही एक कपड़े में रखकर सील कर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा उक्त गिरफतारी व बरामदगी के संबंध में एक फर्द मौके पर ही लिखकर उस पर हमराही व अभियुक्त शिवजी का हस्तक्षर बनवाया गया। उक्त फर्द पत्रावली में संलग्न कागज सं0 6 क/2 मेरे सामने है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क-10 डाला गया। उसी दिन अभियुक्त का बयान भी लेकर अंकन सी०डी० किया गया। दिनांक 04-07-2019 को पर्चा नं0 5 किता किया जिसमें अवलोकन सूचना हाजिरी किया। दिनांक 08-07-2019 को पर्चा नं0 6 किता किया जिसमें माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर जिला कारागार में अभियुक्त शुकुल उर्फ शुक्ला पुत्र अक्षयलाल, लक्ष्मण पुत्र शिवमुनी, शिवमुनी पुत्र सीताराम, जवाहिर पुत्र शिवमुनी, मंगरू पुत्र शिवपूजन व अरविन्द पुत्र छट्टू का बयान लिया और अंकन सी०डी० किया। दिनांक 10-07-2019 को पर्चा नं0 7 किता किया जिसमें अवलोकन पंचायतनामा व मृतक श्यामनरायण के पी०एम० रिपोर्ट का अवलोकन किया। तत्पश्चात् पंचायतनामा के गवाहान उमेश कुमार वर्मा, रविशंकर वर्मा, अतुल कुमार मौर्य, जितेन्द्र कुमार मौर्य व सुरेश पासवान का बयान लेकर अंकन सी०डी० किया। दिनांक 12-07-2019 को पर्चा नं0 8 किता किया जिसमें अभियुक्त जीतन वर्मा व छट्टू वर्मा के 14 दिवस रिमाण्ड की माननीय न्यायालय से याचना की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिन का रिमाण्ड प्राप्त हुआ। दिनांक 14-07-2019 को पर्चा नं0 9 किता किया जिसमें बयान मजरूब रविन्द्र कुमार वर्मा, अवधेश वर्मा, दुर्गावती देवी, राजनरायण वर्मा का लिया और अंकन सी०डी० किया। दिनांक 15-07-2019 को पर्चा नं0 10 किता किया जिसमें अभियुक्त शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी, अरविन्द वर्मा, जवाहिर वर्मा व मंगरू वर्मा तथा शिवजी वर्मा के 14 दिवस रिमाण्ड की माननीय न्यायालय से याचना की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिन का रिमाण्ड प्राप्त हुआ। दिनांक 16-07-2019 को पर्चा नं0 11 किता किया जिसमें मुकदमे से संबंधित बरामदशुदा आलाकत्ल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर, वाराणसी में परीक्षण हेतु भेजा गया था जिसके दाखिला की कापी प्राप्त हुई थी, जिसका अवलोकन किया गया। इसके बाद मेरा उक्त थाना सहतवार से स्थानांतरण हो गया और विवेचना किसी अन्य विवेचक को दी गई।"

निरीक्षक सतर्कता उ०प्र० पावर कारपोरेशन दिग्विजय सिंह अभियोजन साक्षी संख्या-11 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 29.06.2019 को बहैसियत प्रभारी निरीक्षक थाना सहतवार जनपद बलिया पर कार्यरत था, उस दिन थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 93/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506 आई.पी.सी बनाम शुक्ला वगैरह की विवेचना ग्रहण किया, उस दिन नकलचिक, नकल रपट, बयान वादी मुकदमा राज नारायण वर्मा का लिया था तथा वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और एक नक्शा-नजरी अपने हस्तलेख में तैयार किया तथा संलग्न केस डायरी किया जो पत्रावली मे शामिल कागज संख्या 5 क है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है प्रमाणित करता हूं जिस पर **प्रदर्श क 11** डाला गया। दिनांक 30.06.2019 को मृतक श्याम नारायण वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्राप्त हुई जिसका अवलोकन किया तथा उसी दिन मुकदमे के अभियुक्त छट्टू वर्मा व जीतन वर्मा को गिरफ्तार किया तथा पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त लाठी को अपने घर मे छिपाना होना बताया तथा बरामद कराने की बात कही जिस पर दोनो अभियुक्तो को साथ लेकर उनके बताये स्थान उनके घर पहुंचा जहां अभियुक्त जीतन आगे-आगे चलकर अपने घर के मकान के कोने से खड़ी एक लाठी

निकालकर दिया जिस पर खून लगा हुआ था को कब्जा पुलिस लिया गया तथा वहां से अभियुक्तो को साथ लेकर अभियुक्त छट्ठू वर्मा के घर पहुंचा, छट्ठू वर्मा ने अपने मढ़हे के कोने से एक अदद लाठी निकालकर दिया जिसको कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त आला कत्ल लाठी की बरामदगी के संबंध में एक फर्द भी मैंने मौके पर ही तैयार किया उस पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर बनवाये गये तथा हम पुलिस वालो ने अपना भी हस्ताक्षर बनाया था, वह फर्द पत्रावली मे शामिल कागज संख्या 6 क/1 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर है प्रमाणित करता हूं जिस पर पूर्व से ही प्रदर्श क 9 डाला गया है। अभियुक्तगण के बयान लिये गये तथा नियमानुसार चालान न्यायालय किया गया था। उसी दिन घटना मे मजरूब राज नारायण, रवीन्द्र, अवधेश कुमार, दुर्गावती देवी के मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुए थे जिसका अवलोकन कर संलग्न केस डायरी किया था। उपरोक्त चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से अपराध में धारा 324 आई.पी.सी. की बढ़ोत्तरी की गई थी। तत्पश्चात मुझ विवेचक का स्थानांतरण हो गया । मुकदमे की शेष विवेचना अन्य विवेचक द्वारा पूर्ण की गई। थाना कार्यालय से पैरोकार द्वारा सफेद कपड़े में सील बंद हालत में एक डण्डा नुमा वस्तु प्रस्तुत की गई, कपड़े पर एक अदद लाठी आलाकत्ल संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 93/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 324, 323, 504, 506 आई.पी.सी थाना सहतवार बनाम छट्ठू वर्मा इत्यादि लिखा है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर व दिनांक 30.06.2019 अंकित किया गया है जिसे गवाह ने देखकर कहा कि वह अंकन उनके द्वारा किया गया है तथा हस्ताक्षर को अपना होना बताया, न्यायालय की अनुमति से सील खोला जिसमे एक बांस का डण्डा निकला जिसे गवाह ने देखकर कहा कि यह वही डण्डा है जो मैने दौरान विवेचना अभियुक्त छट्ठू वर्मा द्वारा अपने मढ़हे से निकालकर दिया था पहचान करता हूं कपड़े पर वस्तु प्रदर्श 1 व डण्डे पर वस्तु प्रदर्श 2 डाला गया।"

उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह अभियोजन साक्षी संख्या-12 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "मै दिनांक 29.06.2019 को बहैसियत उ०नि० थाना सहतवार जनपद बलिया पर कार्यरत था । उस दिन राज नारायण पुत्र परमानन्द निवासी कुशहर थाना सहतवार जनपद बलिया द्वारा दी गई सूचना जिसका इंद्राज रपट नं 31 समय 13.43 दिनांक 29.06.2019 पर किया गया तथा उक्त सूचना के आधार पर थाना सहतवार पर मुकदमा अपराध संख्या 93/2019 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506 आई.पी.सी. बनाम शुक्ला वगैरह का अभियोग पंजीकृत हुआ तथा उस सूचना पर घटना मे मृतक श्याम नारायण पुत्र परमानन्द वर्मा निवासी कुशहर थाना सहतवार जनपद बलिया के शव के पंचायतनामा हेतु मय जिल्द पंचायतनामा का०- विनोद कुमार, का० विपिन कुमार और का० गिरीश चन्द्र के साथ चिराई घर पर पहुंचा जहां उसके परिजन शोकाकुल अवस्था में थे तथा अन्य व्यक्ति मौजूद थे । उन व्यक्तियो मे से जितेन्द्र कुमार मौर्य, उमेश कुमार वर्मा, रविशंकर वर्मा, अतुल कुमार मौर्य व सुरेश पासवान को पंचान नियुक्त कर उनके अधिकार कर्तव्य बताकर पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ किया। मृतक की उम्र करीब 42 वर्ष पुरुष, एकहरा मजबूत जिस्म, गन्दुम रंग, आंख, नाक, कान, कद औसत, मृतक के शरीर पर टीशर्ट मटमैला रंग का लोवर हाफ क्रीम कलर का तथा हाफ नेकर कथई रंग का था। मृतक के शरीर पर सिर में पीछे की तरफ चोट खूनालुदा सामने माथे पर चोट खूनालुदा, बांये हाथ मे चोट, पीठ में चोट का निशान व दाहिने हाथ की उंगली में चोट का निशान था। नियुक्त पंचानो से मृतक की मृत्यु के संबंध में अलग-अलग व सामूहिक रूप से राय ली गई तो सभी ने बताया कि मृतक की मृत्यु मारपीट में आई चोट के कारण हुई है मेरी राय भी पंचो के राय के सामान थी फिर भी मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक था इसलिए शव को सफेद कपड़े में सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया तथा का० विनोद कुमार को पोस्टमार्टम हेतु सुपुर्द किया। पंचायतनामा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर नियुक्त पंचानो को पढ़वाकर उनके हस्ताक्षर बनवाये गये थे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 9 क/1

पंचायतनामा को गवाह को वी.सी. के माध्यम से दिखाया गया तो गवाह ने देखकर कहा कि यह वही पंचायतनामा है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है प्रमाणित करता हूं जिस पर प्रदर्श क 12 डाला गया । पंचायतनामा के क्रम मे अन्य प्रपत्र भी मैने अपने लेख व हस्ताक्षर मे तैयार किये थे। पत्रावली मे शामिल कागज संख्या 9 क/2 चिट्ठी सीएमओ, कागज संख्या 9 क/3 चिट्ठी आर.आई., कागज संख्या 9 क/4 चालाननाश, कागज संख्या 9 क/5 नमूना मोहर व कागज संख्या 9 क/6 फोटोनाश को गवाह को वी०सी० के माध्यम से दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि यही कागजात मैने पंचायतनामा के वक्त तैयार किये थे जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है, प्रमाणित करता हूं जिस पर क्रमशः प्रदर्श क 13, प्रदर्श क 14, प्रदर्श क 15, प्रदर्श क 16 व प्रदर्श क 17 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था ।"

सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक अनिल चन्द तिवारी अभियोजन साक्षी संख्या-13 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "दिनांक 25.07.2019 को मैं थाना प्रभारी के पद पर थाना सहतवार पर तैनात था। दिनांक 29.06.2019 को मुकदमा अपराध सं० 93/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504 व 506 भा०दं०सं० में दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना मेरे पूर्व अधिकारी निरीक्षक श्री शिवमिलन द्वारा की जा रही थी, जिनके स्थानांतरण हो जाने के कारण दिनांक 25.07.2019 को विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गई। पर्चा नं० 12 दिनांक 25.07.2019 को मेरे द्वारा किता किया गया तथा अभियुक्त छट्ठू वर्मा पुत्र देवनारायण वर्मा, जीत्तन वर्मा पुत्र श्रीकिशुन वर्मा निवासीगण कुशहर थाना सहतवार जो जिला कारागार बलिया में निरूद्ध थे। माननीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड हेतु आग्रह किया गया तथा रिमाण्ड प्राप्त किया गया। पर्चा नं० 13 दिनांक 25.07.2019 को किता किया गया जिसमें लेखक एफआईआर कांस्टेबल मुंशी सुरेन्द्र पटेल, फर्द गवाह उपनिरीक्षक जगदीश विश्वकर्मा, फर्द गवाह उपनिरीक्षक मंतोष सिंह, फर्द गवाह हेड कांस्टेबल विनोद कुमार यादव, थाना सहतवार, जिला बलिया बयान लेकर संलग्न सीडी किया गया। पर्चा नं० 14 दिनांक 27.07.2019 को पीएम कर्त्ता डॉ० संतोष चौधरी का बयान तथा बयान कांस्टेबल गिरीश चन्द, बयान कांस्टेबल विपिन कुमार व बयान कांस्टेबल विनोद कुमार लेकर संलग्न सीडी किया गया। पर्चा नं० 15 दिनांक 28.07.2019 को मेरे द्वारा बयान गवाह कांस्टेबल आशुतोष सिंह, बयान गवाह कांस्टेबल पंकज राजभर, बयान गवाह कांस्टेबल ऋषिकेश लेकर संलग्न सीडी किया गया। पर्चा नं० 16 दिनांक 29.07.2019 को फर्द गवाह निरीक्षक शिवमिलन, फर्द गवाह आरक्षी गिरीश यादव, फर्द गवाह आरक्षी अनन्त यादव का बयान लेकर संलग्न सीडी किया था। पर्चा नं० 17 दिनांक 30.07.2019 गवाह आरक्षी विशेष वाहक अविनाश कुमार मौर्या का बयान लेकर संलग्न सीडी किया था। पर्चा नं० 18 दिनांक 31.07.2019 गवाह पंचायत नामा उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह तथा बयान मेडिकल कर्त्ता डॉ० रोहित रंजन सीएचसी रेवती जनपद बलिया का बयान लेकर संलग्न सीडी किया। पर्चा नं० 19 दिनांक 03.08.2019 को मेरे द्वारा चश्मदीद गवाह श्रीमती चन्दा देवी पत्नी स्व० श्यामनारायण वर्मा का बयान लेकर संलग्न सीडी किया गया। पर्चा नं० 20 दिनांक 04.08.2019 को मेरे द्वारा किता किया गया वादी राजनारायण वर्मा पुत्र परमानन्द वर्मा साकिन कुशहर, थाना सहतवार, जिला बलिया के लिखित तहरीर सूचना पर पंजीकृत मु०अ०सं० 93/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504 व 506 भा०दं०सं० में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 324 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण शुकुल उर्फ शुक्la वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनि वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीत्तन वर्मा, जवाहिर वर्मा व मंगरू वर्मा समस्त निवासीगण कुशहर, थाना सहतवार जिला बलिया का चालान द्वारा आरोप पत्र सं० 107/2019 दिनांक 04.08.2019 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में शामिल आरोप पत्र कागज सं० 3 क/10 लगायत 3 क/18 जो सीसीटीएनएस द्वारा निकाला गया है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है तथा थाने की मोहर लगी है। तसदीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क 18 डाला गया। एस सीडी 1 दिनांक 12.08.2019 को अवलोकन एक्स रे

रिपोर्ट मजरूब राजनारायण वर्मा पुत्र परमानन्द वर्मा साकिन कुशहर, थाना सहतवार जिला बलिया का एक्स रे दिनांक 01.07.2019 को जिला चिकित्सालय बलिया में सीरियल नं० 3353 व एक्स रे नं० 1798 पर रेडियोलॉजिस्ट डॉ० संजय सिंह द्वारा किया गया है जिसमें FINDING FRACTURE OF RT RADIUS BONE अंकित पाया गया था। अवलोकन एक्स रे रिपोर्ट मजरूब रवीन्द्र कुमार पुत्र राजनारायण साकिन कुशहर, थाना सहतवार, जिला बलिया का एक्स रे सीरियल नं० 3351 व एक्स रे क्रमांक 1799 दिनांक 01.07.2019 जिला चिकित्सालय बलिया में डॉ० संजय सिंह द्वारा किया गया था। जिसमें FINDING- 1. NAD, 2. NAD, 3.NAD अंकित है। अवलोकन एक्सरे रिपोर्ट मजरूब अवधेश कुमार पुत्र राजनारायण साकिन कुशहर, थाना सहतवार, जिला बलिया का एक्स रे सीरियल नं० 3355 व एक्स रे क्रमांक 1800 दिनांक 01.07.2019 जिला चिकित्सालय बलिया में डॉ० संजय सिंह द्वारा किया गया था, जिसमें FINDING- 1.NAD, 2.NAD, 3. NAD अंकित है। अभियोग उपरोक्त में मजरूब राजनारायण वर्मा के एक्स रे रिपोर्ट के अवलोकन से FINDING FRACTURE OF RT RADIUS BONE अंकित पाया गया था। जिसके आधार पर धारा 325 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी करते हुए मु०अ०सं० 93/2019 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 324, 504 व 506 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण शुकुल उर्फ शुक्ला वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनि वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीत्तन वर्मा, जवाहिर वर्मा व मंगरू वर्मा समस्त निवासीगण कुशहर, थाना सहतवार जिला बलिया का चालान द्वारा आरोप पत्र सं० 107/2019 को तथा पूरक आरोप पत्र सं० ए 107/2019 धारा 325 भा०दं०सं० दिनांक 12.08.2019 को न्यायालय प्रेषित किया गया। दो/तीन अन्य अभियुक्त नाम पता अज्ञात दर्ज किया गया था। जिनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण विवेचना समाप्त कर दी गई । पत्रावली में शामिल आरोपपत्र सं०-3 क/1 लगायत 3 क/9 है, जो दिनांक 12.08.2019 को सी.सी.टी.एन.एस.एस. द्वारा निकाला गया है, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है तथा थाने की मोहर लगी है, तसदीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-19 डाला गया ।"

डॉ० संजय कुमार अभियोजन साक्षी संख्या-14 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 01.07.2019 को बहैसियत रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय बलिया में कार्यरत था। उस दिन थाना सहतवार के कॉ० पंकज कुमार राजभर द्वारा मजरूब राजनारायण वर्मा पुत्र परमानन्द, रवीन्द्र पुत्र राजनारायण व अवधेश पुत्र राजनारायण समस्त साकिन कुशहर, थाना सहतवार, जनपद बलिया का एक्सरे हेतु मेरे समक्ष लाया गया था। मैंने मजरूब राजनारायण के दाहिने हाथ का कलाई सहित अग्रबांह का एक्सरे किया था। जिसका एक्सरे प्लेट सं० 1798 तैयार किया था तथा उस एक्सरे प्लेट के आधार पर एक्सरे रिपोर्ट अपने हस्तलेख में तैयार किया था। उसी क्रम में रविन्द्र के सिर, दाहिना पैर व दाहिना अग्रबांह का एक्सरे क्रमांक सं० 1799 तथा अवधेश का सिर व दाहिना हाथ का अग्रबांह का एक्सरे क्रमांक 1800 किया था तथा उस एक्सरे के आधार पर मजरूब रवीन्द्र व अवधेश का भी एक्सरे रिपोर्ट अपने हस्तलेख में तैयार किया था। राजनारायण के एक्सरे के अनुसार उसके दाहिना हाथ का रेडियस बोन फ्रैक्चर पाया गया था, वह एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली में शामिल कागज सं० 12 क/1 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, प्रमाणित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क 20 डाला गया है। मजरूब रवीन्द्र व अवधेश का एक्सरे रिपोर्ट कागज सं० 12 क/3 व 12 क/4 है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, प्रमाणित करता हूँ, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क 21 व प्रदर्श क 22 डाला गया है। राजनारायण का एक्सरे प्लेट क्रमांक 1798 व रवीन्द्र का एक्सरे प्लेट क्रमांक 1799 तीन अदद प्लेट व अवधेश का एक्सरे क्रमांक 1800 से संबंधित दो अदद प्लेट पत्रावली में संलग्न हैं, ये वही प्लेट हैं जो मैंने एक्सरे के उपरान्त तैयार किया था, जिसपर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 3, वस्तु प्रदर्श 4, वस्तु प्रदर्श 5, वस्तु प्रदर्श 6, वस्तु प्रदर्श 7 व वस्तु **प्रदर्श 8** डाला गया है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

हे० कां० गिरीश यादव अभियोजन साक्षी संख्या-15 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में

सशपथ कथन किया गया है कि "मैं दिनांक 02.07.2019 को बतौर कां० थाना सहतवार जनपद बलिया पर कार्यरत था । उस दिन प्रभारी नि० शिवमिलन का हमराह था। उस दिन थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं० 93/19 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 324, 323, 504, 506 भा.द.सं का वांछित अभियुक्त शिवजी वर्मा को प्रभारी नि० ने कुसौरी टेम्पू स्टेण्ड के पास से 7.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया था तथा पूछताछ में घटना में प्रयुक्त आला कत्ल फावड़ा की बरामदगी की बात बताया था तथा हम पुलिस वालों से आगे-आगे चलकर अपने घर के एक कमरे के कोने में से एक फावड़ा निकालकर दिया था जिसे कब्जा पुलिस लेकर प्रभारी नि० ने एक फर्द तैयार किया था उस फर्द पर अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये गये उस फर्द पर मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था । वह फर्द पत्रावली में शामिल कागज संख्या 6 क/2 है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है पहचान करता हूँ जिसपर पूर्व से ही प्रदर्श क-10 डाला गया है। थाना सहतवार के पैरोकार द्वारा एक सफेद कपड़े का बण्डल सर्वमुहर हालत में लाया गया। इस कपड़े पर मु०अप०सं० 93/19 थाना सहतवार धारा 302 भा.द.सं इत्यादि लिखा है। जिसपर प्रभारी नि० का लघु हस्ताक्षर है जिसकी पहचान गवाह ने किया। माननीय न्यायालय की अनुमति से सील खोला गया जिसके अन्दर से एक अदद फावड़ा निकला जिसे गवाह ने देखकर कहा की यह वही फावड़ा है जो अभियुक्त शिवजी ने पुलिस को बरामद कराया था, पहचान करता हूँ, कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-9 तथा फावड़े पर वस्तु प्रदर्श-10 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छठ्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए, अभियोजन प्रपत्रों से इंकार किया गया है । मुकदमा रंजिशन चलने का कथन करते हुए यह भी कथन किया गया है कि वे बिल्कुल निर्दोष है । राज नरायण व श्याम नरायण के परिवार आपस में मारपीट किए और गलत तौर पर उन्हें अभियुक्त बना दिया गया है । अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है।

बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में किसी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री संजीव कुमार सिंह एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी राय के तर्को को ध्यानपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

राज्य की ओर से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा यह तर्क दिया गया कि घटना की तिथि 29.06.2019 समय सुबह 08.30 बजे की है और घटनास्थल गांव कुशहर स्थित वादी के खेत का है । उन्होंने यह तर्क दिया कि एफ०आई०आर० उसी दिन दोपहर 13.43 पी०एम० पर दर्ज हो गया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एफ०आई०आर० दर्ज कराने में विलम्ब नहीं हुई है यद्यपि कुछ घण्टों का अंतराल है जो निश्चय ही अस्पताल ले जाने और घटनास्थल से थाने की दूरी 06 कि०मी० को देखते कुछ घण्टों का अंतराल होना स्वभाविक है । उन्होंने यह तर्क दिया कि मृतक की मृत्यु, घटना की तिथि 29.06.2019 को ही हो गई । उसकी मृत्यु कुछ ही घण्टों के बाद हो गई इसलिए उसका चिकित्सीय परीक्षण न होकर सीधा पोस्टमार्टम ही किया गया । पोस्टमार्टम भी 05 बजे शाम में दिनांक 29.06.2019 को पूर्ण किया गया । उन्होंने यह तर्क दिया कि घटना गम्भीर थी इसलिए सीधे जिला अस्पताल बलिया ले जाया गया और वापसी में थाना पर तहरीर दी गई जिसमें कुछ घण्टे का विलम्ब है और यह स्वभाविक है । उन्होंने यह तर्क दिया कि उपरोक्त घटना में कई चुटहिल है जिसमें रविन्द्र कुमार वर्मा पी०डब्लू०-2, अवधेश कुमार वर्मा पी०डब्लू०-3, राजनारायण वर्मा पी०डब्लू०-4, दुर्गावती देवी पी०डब्लू०-9 चुटहिल है और मृतक की पत्नी चन्दा देवी पी०डब्लू०-6 चक्षुदर्शी साक्षी है । उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण के अपराध को सभी

संदेहों से साबित किया गया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्तगण खेत में खेती से संबंधित कार्य कर रहे थे इसलिए लाठी, डण्डा, फावड़ा, फरसा, टांगी उनके पास थी और मृतक एवं चुटहिलगण को लाठी, डण्डा तथा फावड़ा के पिछले भाग से चोटें पहुॅचाए जाने के कारण कोई कटा हुआ घाव नहीं आया है । उभय पक्ष ने घटना होना स्वीकार किया है और अपना केस यह रखा कि वादी पक्ष ही आपस में लड़ाई किए थे परन्तु इस तथ्य को बचाव पक्ष के द्वारा साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृतक की पत्नी चन्दा देवी पी०डब्लू०-6 वास्तविक अभियुक्त को छोड़ कर निर्दोष लोगों को क्यों झूठे मुकदमे में फंसाएगी और इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । उन्होंने यह तर्क दिया कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य एक-दूसरे को सम्पुष्ट करते हुए घटना में प्रयुक्त हथियार/आला कत्ल से होना साबित है । उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियोजन ने अभियुक्तगण के अपराध को सभी युक्ति-युक्त संदेहों से परे साबित किया है । अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए ।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कोई विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य में कथित अपराध को कारित किए जाने के हथियार/आला कत्ल में गम्भीर विरोधाभास है । किसी साक्षी के द्वारा फावड़ा एवं किसी के द्वारा टांगी से प्रहार किया जाना कहा गया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि घटनास्थल पर मूंगफली बोने की बात कही गयी है, विवेचक को घटनास्थल से न तो मूंगफली का बीज प्राप्त हुआ और न ही मूंगफली बोने का कोई साक्ष्य मिला है । उन्होंने यह तर्क दिया कि घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार जैसे गड़ासा, टांगी, फावड़ा आदि का कोई चोट मृतक अथवा चुटहिलगण को नहीं आया है जिससे अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य स्वयं में मिथ्या हो जाता है । उन्होंने यह तर्क दिया कि घटना में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और सभी अभियोजन साक्षीगण ने झगडे का भिन्न-भिन्न कारण बताया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चुटहिल साक्षीगण का साक्ष्य पूर्ण रूप से अविश्वसनीय होने की श्रेणी में आता है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मारपीट की घटना में खेत में रक्त गिरने का साक्ष्य आया है परन्तु विवेचक को घटनास्थल से कोई रक्त गिरा होना नहीं मिला है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य में विरोधाभास है और इसलिए वह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि घटनास्थल में भी भिन्नता है । बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के अपराध को अभियोजन सभी संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है । अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कोई विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी के द्वारा दिनांक 05.12.2019 को अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के विरूद्ध आरोप धारा- 147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 324/149, 325/149, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विरचित किए गए।

धारा-147 भारतीय दण्ड संहिता

बल्वा करने के लिए दण्ड- जो कोई बल्वा करने का दोषी होगी, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा-148 भारतीय दण्ड संहिता

घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना- जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी

चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगी, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

धारा-149 भारतीय दण्ड संहिता

विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी- यदि विधि विरूद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा ।

धारा-302 भारतीय दण्ड संहिता

हत्या के लिए दण्ड- जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

धारा-307 भारतीय दण्ड संहिता

हत्या करने का प्रयत्न- जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति कारित हो जाये तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है ।

आजीवन सिद्धदोष द्वारा प्रयत्न- जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दण्डादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा ।

धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता

स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड- उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

धारा-324 भारतीय दण्ड संहिता

खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना- उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाये, तो उससे मृत्यु कारित

होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुॅचना मानव जीवन के लिए हानिकारक है, या किसी जीवजन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

<u>धारा-325 भारतीय दण्ड संहिता</u>

स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड- उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा ।

<u>धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता</u>

लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान- जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोग शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

<u>धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता</u>

आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड- जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो- तथा यदि मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाम कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध करित करने की, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

उभय पक्ष के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में निम्नलिखित **<u>अवधार्य प्रश्न</u>** निर्मित किए जाते है-

1- क्या एफ०आई०आर० विलम्ब से दर्ज कराई गई है ? यदि हॉ तो क्या विलम्ब का पर्याप्त स्पष्टीकरण अभियोजन ने दिया है ?

2- क्या मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य मृतक एवं चुटहिलगण की चोटों के संबंध आला कत्ल के प्रयोग को सम्पुष्ट करता है ?

3- क्या आला कत्ल की बरामदगी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विधि अनुसार की गई है?

4- क्या अभियोजन के द्वारा सभी चोटहिल साक्षीगण एवं चक्षुदर्शी साक्षी की घटनास्थल पर

उपस्थिति एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सभी संदेहों से परे साबित किया गया है?

अवधार्य प्रश्न संख्या-1

क्या एफ०आई०आर० विलम्ब से दर्ज कराई गई है ? यदि हॉ तो क्या विलम्ब का पर्याप्त स्पष्टीकरण अभियोजन ने दिया है ?

लिखित तहरीर प्रदर्श क-03 दिनांकित 29.06.2019 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि घटना सुबह 08.30 बजे की है । जी०डी० कायमी नं०-31 प्रदर्श क-01 में इस तथ्य का उल्लेख पाया जाता है कि वादी मुकदमा राजनारायण ग्राम कुशहर मय उसका लड़का अवधेश कुमार, रविन्द्र कुमार, व पत्नी दुर्गावती चुटहिल हालत में थाना आकर प्रार्थनापत्र पूर्व लिखित हस्ताक्षर के साथ विपक्षीगण शुक्ला, लक्ष्मण, शिवमुनी, छट्टू, अरविन्द, शिवजी, जीतन, जवाहिर, मंगरू निवासीगण कुशहर के विरूद्ध दिया गया । विपक्षीगण/अभियुक्तगण के द्वारा लाठी, डण्डा, टांगी, फरसा लेकर गाली गुप्ता करते हुए जान से मारने की नियत से मारना पीटना शुरू किए जिससे वादी का लड़का अवधेश कुमार, रविन्द्र कुमार, पत्नी दुर्गावती भाई श्याम नारायण को काफी चोटें आई । इलाज हेतु बलिया ले जाते समय वादी के भाई श्याम नारायण की रास्ते में मृत्यु हो गई । जी०डी० नं०-31 में घटना की तिथि 29.06.2019 और समय 01.43 बजे का दर्शित है । राजनारायण पी०डब्लू०-04 ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी घटना की तिथि 29.06.2019 को समय सुबह करीब 08.30 बजे होने का कथन किया है । यह भी कथन किया है कि अभियुक्तगण शुक्ला वर्मा अपने हाथ में फरसा, लक्ष्मण वर्मा टांगी, शिवमुनी फावड़ा, शिवजी फावड़ा तथा छट्टु वर्मा, अरविन्द वर्मा, जीतन वर्मा, मंगरू वर्मा व जवाहिर वर्मा अपने हाथ में लाठी, डण्डा लेकर आए और भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे । मना करने पर उपरोक्त सभी लोग आवेशित होकर अपने हाथ में लिए लाठी, डण्डा, फावड़ा, फरसा व टांगी से उसके भाई श्यामनरायण को जान से मारने की नियत से मारने लगे । उसको बचाने उसकी पत्नी दुर्गावती, स्वयं वादी, उसके लड़के रविन्द्र व अवधेश गए तो उपरोक्त अभियुक्तगण उन्हें मारने पीटने लगे जिससे उसे, उसके भाई श्यामनरायण, लड़के रविन्द्र, अवधेश तथा पत्नी दुर्गावती को काफी गम्भीर चोटें आई । शोर पर उसके परिवार के अन्य लोग और गांव के लोग आ गए तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। परिवार के अन्य सदस्य व गांव के लोगों द्वारा रेवती सरकारी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया जहॉ उसके भाई श्यामनरायण की स्थिति नाजुक देखते हुए सरकारी अस्पताल बलिया के लिए रेफर कर दिया गया । बलिया ले जाते समय रास्ते में ही उसके भाई श्यामनरायण की मृत्यु हो गई । अन्य चुटहिलों का इलाज सरकारी अस्पताल रेवती में हुआ । प्राथमिक उपचार के बाद जब वह थाने पर आया तो अस्पताल से एक व्यक्ति जिसको वह नहीं जानता है, उससे बोल कर तहरीर लिखवा कर पढ़वा कर सुनने के बाद अपने बांऐं हाथ से हस्ताक्षर बनाया क्योंकि उसका दाहिना हाथ मुल्जिमानों के मारने से टूट गया था । प्रति परीक्षण के पृष्ठ-8 पर इस साक्षी ने कथन किया है कि श्यामनरायण को जिन्दा अवस्था में रेवती स्वास्थ्य केन्द्र ले गए और वहॉ से रेफर करने पर बलिया ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई । पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-8 में शव विच्छेदन हेतु मृतक को जिला अस्पताल बलिया में दिनांक 29.06.2019 को समय 11.50 ए०एम० सुबह लाया गया । शव विच्छेदन की कार्यवाही 05 पी०एम० शाम में शुरू हुई और दिनांक 29.06.2019 को 05.40 पी०एम० शाम में समाप्त हुई । शव विच्छेदन हेतु मृतक को 11.50 ए०एम० पर जिला अस्पताल बलिया पहुॅचाने के पश्चात एवं प्राथमिक उपचार के बाद वादी थाना गया और तहरीर लिखवा कर थाने पर दिया । जिला अस्पताल से 11.50 ए०एम० के बाद चलने पर लगभग एक से डेढ़ घण्टे या दो घण्टे में वादी थाना सहतवार पहुॅचा होगा और किसी से तहरीर लिखवा कर थाना पर देने की स्थिति में एफ०आई०आर० 13.43 बजे दर्ज हुआ । यह

स्वभाविक है कि जब गम्भीर मारपीट होने की स्थिति में वादी के सगे भाई की मृत्यु जिला अस्पताल बलिया ले जाने के क्रम में रास्ते में हुई और परिवार के अन्य सदस्यगण भी घायल थे तो निश्चय ही सर्व प्रथम जिला अस्पताल बलिया ले जाने में समय लगा होगा एवं कुछ समय जिला अस्पताल बलिया में औपचारिक्ताओं को पूर्ण करने में वे लोग रूके होंगे । तत्पश्चात वापस सहतवार थाना जाकर तहरीर दिया । इस सारे कार्य को करने में कुछ घण्टों का समय निश्चय ही लगा होगा । उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की सबसे पहले चोटहिल एवं मृतक को चिकित्सीय सुविधा दिलाना प्राथमिकता होती है न कि थाना पर जाकर तहरीर दर्ज करवाना । उक्त तथ्यों, परिस्थितियों में कुछ घण्टों का समय लगना स्वभाविक है और स्वीकार्य है । इससे यह नहीं माना जा सकता है कि एफ०आई०आर० विलम्ब से दर्ज करवाई गई ।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि एफ०आई०आर० दर्ज करवाने में जो समय व्यतीत हुआ है उसका पर्याप्त स्पष्टीकरण है ।

<u>अवधार्य प्रश्न संख्या-2</u>

<u>क्या मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य मृतक एवं चुटहिलगण के चोटों के संबंध आला कत्ल के प्रयोग को सम्पुष्ट करता है ?</u>

लिखित तहरीर प्रदर्श क-03 के अनुसार अभियुक्तगण लाठी, डण्डा, टांगी, फरसा से मृतक एवं चुटहिलगण को मारे । राजनरायण वर्मा पी०डब्लू०-04 ने अपने साक्ष्य में लाठी, डण्डा, फरसा, टांगी, फावड़ा से मारने पीटने की बात कही है । पी०डब्लू०-04 ने प्रति परीक्षण के पृष्ठ-05 पर यह कथन किया है कि उसके छोटे भाई श्यामनरायण को हथियार के धार वाले हिस्से से मारा गया था । उसे (पी०डब्लू०-04) धारदार हथियार से नहीं मारा गया था । पृष्ठ-06 पर इस साक्षी ने कथन किया है कि फावड़ा, कुदाल व फरसा में अन्तर होता है । उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुल्जिमान द्वारा फावड़ा लेकर आने की बात लिखाई थी । यदि रिपोर्ट में फावड़ा लेकर आने की बात नहीं लिखाई है तो इसकी वजह वह नहीं बता सकता । उसके भाई श्यामनरायण को कुल्हाड़ी, फरसा व टांगी की चोट सिर के आगे व पीछे आई थी । पी०डब्लू०-04 ने पृष्ठ-7 पर प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि सभी मुल्जिमान अपने-अपने घरों से आये और अक्षयलाल वर्मा के मकान के अन्दर से लाठी, फावड़ा, फरसा, टांगी निकालकर आए और उन लोगों (मृतक एवं चुटहिलगण) पर आक्रमण कर दिए ।

रविन्द्र कुमार वर्मा पी०डब्लू०-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा लाठी, डण्डा, फरसा, फावड़ा से मारने का कथन किया है । पी०डब्लू०-2 ने प्रति परीक्षण के पृष्ठ-3 पर यह कथन किया है कि लक्ष्मण वर्मा और शुक्ल वर्मा से उसके चाचा श्यामनारायण वर्मा से कहा-सुनी हुई । उसके बाद बाकी लोग अपने घरों से लाठी, टांगी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, फरूहा, फरसा लेकर आए और उसके चाचा को मारने लगे । उस वक्त मुल्जिमान ने उसे और उसके पिता राजनारायण वर्मा एवं उसकी माता दुर्गावती देवी और भाई अवधेश को भी मारे थे । उपरोक्त हथियारों से उन लोगों को भी चोटें आई थी ।

अवधेश कुमार वर्मा पी०डब्लू०-3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण लाठी, डण्डा, फावड़ा से जान से मारने की नियत से उसके चाचा श्यामनारायण वर्मा को मारने लगे । जब वे लोग बचाने गए तो सभी मुल्जिमान उन लोगों को भी बुरी तरह से मारे-पीटे । मुल्जिमान के मारने से उसके सिर में गम्भीर चोटें आई थी, सिर फट गया था तथा शरीर में अन्य जगह भी चोटें आई थी । उपरोक्त लोगों के मारने से उसके चाचा श्याम नारायण के सिर में गम्भीर चोट आई थी वे गिरकर मौके पर ही बेहोश हो गए । पी०डब्लू०-3 ने पृष्ठ-4 पर प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि

सभी मुल्जिमान लाठी, डण्डा, टांगी, फावड़ा, फरसा लेकर अचानक आ गए और मूंगफली वाले खेत पर पहुॅच गए और मुल्जिमान उपरोक्त ने अपने-अपने हथियारों से उसे व उसके चाचा श्यामनारायण को मारे थे । इसके अलावे उसके बड़े भाई रविन्द्र वर्मा, पिता राजनरायण वर्मा, माता दुर्गावती देवी को भी मारा था ।

चन्दा देवी पी०डब्लू०-6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 29.06.2019 की है । उस दिन उसके पति श्यामनरायण वर्मा, जेठ राजनरायण वर्मा, जेठानी दुर्गावती तथा भतीजा अवधेश कुमार व रविन्द्र कुमार खेत बोने गए थे । उस दिन वह उपरोक्त लोगों के लिए नाश्ता लेकर खेत पर गई तो देखी कि अभियुक्तगण लाठी, डण्डा व फावड़ा से हमला कर दिए और उसके परिवार के लोगों को मारने पीटने लगे । आगे यह भी कथन किया है कि हमला के समय शिवमुनी के हाथ में फावड़ा व अन्य लोगों के हाथ में लाठी, डण्डा था । सब लोगों ने मिलकर उसके पति व परिवार के लोगों को मारा पीटा । प्रति परीक्षण के पृष्ठ-4 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त शिवजी, शिवमुनी फावड़ा लिए थे बाकी लोग लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी, फरसा लिए थे । पी०डब्लू०-6 ने प्रति परीक्षण के पृष्ठ 7 पर यह कथन किया है कि यह मारपीट फावड़ा, कुदाल, फरसा, टांगी, लाठी, डण्डा से हो रही थी । वे लोग कुदाल को ही फावड़ा कहते है । पृष्ठ-8 पर कथन किया है कि सभी मजरूबान को फावड़ा, कुदाल, फरसा, टांगी, लाठी, डण्डा की चोट आई थी ।

दुर्गावती देवी पी०डब्लू०-9 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण अपने हाथ में लाठी, डण्डा, फावड़ा से उसके देवर श्याम नरायण को मारने लगे । वह, उसका पति राज नरायण व उसके दोनों लड़के रविन्द्र कुमार व अवधेश दौड़ कर बचाने गए तो सभी लोगों ने उन लोगों को भी मारा पीटा जिससे उसके (पी०डब्लू०-9) सिर में चोटें आई तथा बांऐ हाथ की उंगली में भी चोट आई तथा कमर में भी चोट आई । पी०डब्लू०-9 ने प्रति परीक्षण के पृष्ठ-5 पर यह कथन किया है कि ......फावड़ा, फरूहा, मिट्टी कोड़ने के काम आता है और फरसा लाठी में लगा होता है जिससे आदमी काटा जाता है । उन सभी घायलों व मृतक पर फावड़ा व फरसा से चोटें पहुॅचाई गई थी । पृष्ठ-6 पर इस साक्षी ने कथन किया है कि सभी मुल्जिमान ने सभी घायलों को अपने-अपने हथियार से मारा था ।

उ०नि० मंतोष सिंह पी०डब्लू०-8 के द्वारा अभियुक्तगण जीतन एवं छट्ठू वर्मा को साथ लेकर उसके घर पक्की मकान में गया । अभियुक्त जीतन ने एक लाठी निकालकर दिया जिसकी लम्बाई लगभग पांच फुट दस इंच थी जो हल्की मोटी तथा गांठदार थी, जिसमें रक्त लगा हुआ था । ....अभियुक्त छट्ठू वर्मा के घर गए जहॉ से छट्ठू वर्मा ने अपने मड़ई के कोने से एक लाठी निकालकर दिया, जिसकी लम्बाई सात बालिस्त चार अंगुल थी तथा हल्की पतली बरामद हुई । बरामदशुदा लाठी एक रक्त रंजित व एक सादी कब्जा पुलिस में लिया गया । इस फर्द बरामदगी पर प्रदर्श क-9 अंकित किया गया है । फर्द बरामदगी प्रदर्श क-9 आला कत्ल बरामद दो अदद लाठी रक्त रंजित पर अभियुक्त जीतन का हस्ताक्षर व अभियुक्त छट्ठू वर्मा का अंगूठा निशान अंकित पाया गया । इसके अतिरिक्त संबंधित पुलिस कर्मचारियों के हस्ताक्षर पाए गए ।

इंस्पेक्टर शिव मिलन पी०डब्लू०-10 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त शिवजी वर्मा व शुकुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया । पूछताछ पर उन्होंने बताया कि फावड़े से उसने रामनरायण व श्यामनरायण व उसके घर वालों को मारा था । उस फावड़े को उसने अपने घर के कोने में रखा है । अभियुक्त के द्वारा आगे-आगे चल कर पुलिस वालों को अपने कमरे के कोने से फावड़ा उठा कर दिया । फावड़ा के फर्द बरामदगी के संबंध में प्रदर्श क-10 अंकित कर फर्द बरामदगी को साबित किया गया है । फर्द बरामदगी पर अभियुक्त शिवजी का हस्ताक्षर अंकित होना दर्शाया गया है ।

हे०कां० गिरीश यादव पी०डब्लू०-15 के द्वारा न्यायालय में सादे कपड़े का बण्डल का सील खोला गया । गवाह ने उस फावड़ा की पहचान की जो अभियुक्त शिवजी ने पुलिस को बरामद कराया था । फावड़े के बण्डल पर वस्तु प्रदर्श-9 व फावड़ा पर वस्तु प्रदर्श-10 डाला गया ।

सभी चुटहिलगण को डॉ० रोहित रंजन पी०डब्लू०-5 के द्वारा चिकित्सीय जॉच कर उनका आघात आख्या तैयार किया जाना कहा जाता है । चुटहिल राजनरायण का चोट प्रपत्र प्रदर्श क-4 को डॉ० रोहित रंजन पी०डब्लू०-5 ने साबित किया है । चुटहिल राज नरायण को 04.15 पी०एम० पर सी०एच०सी० रेवती में दिनांक 29.06.2019 को चोटों की जॉच किया गया । चुटहिल राज नरायण को कुल 07 चोटें दर्शायी गयी है । चोट सं०-1- बांऐ कंधे पर छिला हुआ था, जिसका आकार 7.5 x 2.5 से०मी०, चोट सं०-2-निलगू निशान जो कि बांऐ कंधे पर था, जिसका आकार 7.5 x 2.0 से०मी० था । चोट सं०-3- दांऐ हाथ में तथा कलाई पर दर्द और सूजन का था । चोट सं०-4 बांऐ पीठ की तरफ निलगू निशान था, जिसका आकार 7.5 x 2 से०मी० था । चोट सं०-5- दाहिने पीठ के निचले हिस्से में तीन छीला हुआ का निशान था, जिसमें आकार 2.5 x 1 से०मी०, 0.5 x 0.3 से०मी० एवं 0.2 x 0.1 से०मी० था । चोट सं०-6-कमर के पास दर्द की शिकायत थी । चोट सं०-7- बांऐ भौं के ऊपर छीला हुआ जिसका आकार 3.5 x 2.0 से०मी० था, जिसमें रक्तस्राव मौजूद था । चोट सं०-3 को एक्स-रे की सलाह दी गई थी । उपरोक्त सभी चोटें किसी सख्त कुन्दाले से पहुॅचाई जाने का भी राय इस साक्षी ने दिया है तथा यह चोटें दिनांक 29.06.2019 को 08.30 बजे सुबह होने की सम्भावना बताई है ।

रविन्द्र कुमार के चिकित्सीय परीक्षण चोट प्रपत्र प्रदर्श क-5 को भी इस साक्षी पी०डब्लू०-5 ने साबित किया है । इसका चिकित्सीय जॉच दिनांक 29.06.2019 को 03.39 पी०एम० पर सी०एच०सी० रेवती पर हुआ । चोटहिल रविन्द्र कुमार को चोट सं०-1 ललाट के मध्य तथा ऊपरी हिस्से में फटा हुआ था, जिसका आकार 5.0 x 1.5 से०मी० x हड्डी की गहराई तक था, जिसमें रक्तस्राव हो रहा था । चोट सं०-2- दांऐ हाथ में दर्द और सूजन की शिकायत थी । चोट सं०-3- दांऐ हाथ में निलगू निशान 2.5 x 1.5 से०मी० था । चोट सं०-4- बांऐ हाथ की पहली अंगूली के नीचे के हिससे में छिला हुआ था, जिसका आकार 0 .1 x 0.2 से०मी० था । चोट सं०-5- दांऐ जांघ में तीन जगह छिला हुआ था जिसका आकार 2.5 x 1 से०मी०, 5.0 x 1.0 से०मी०, 1.5 x 1.0 से०मी० था । चोट सं०-6 दांऐ एंकल में दर्द था सूजन की शिकायत थी । चोट सं०-7-दाहिने पैर में दर्द तथा सूजन की शिकायत थी । चोट सं०-8-बांऐ कंधे पर निलगू निशान 5.5 x 1.0 से०मी० की थी । चुटहिल को एक्स-रे की सलाह दी गई थी । उपरोक्त सभी चोटें किसी सख्त कुन्दाले से पहुॅचाई जाने का भी राय इस साक्षी ने दिया है ।

अवधेश कुमार के चिकित्सीय परीक्षण चोट प्रपत्र प्रदर्श क-6 को भी इस साक्षी पी०डब्लू०-5 ने साबित किया है । इसका चिकित्सीय जॉच दिनांक 29.06.2019 को 03.35 पी०एम० पर सी०एच०सी० रेवती पर हुआ । चोटहिल अवधेश कुमार को चोट सं०-1 सिर के दाहिने हिस्से में फटा हुआ 5.0 x 1.0 से०मी० x मांस पेशी की गहराई तक था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था। चोट सं०-2-सिर के बांऐ हिस्से में फटा हुआ 3.0 x 1.5 से०मी० x मांसपेशी की गहराई तक था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था । चोट सं०-3-पीठ के बांऐ तथा उपरी हिस्से में छिला हुआ 2.0 x 1.0 से०मी० था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था । चोट सं०-4-कमर के दांऐ हिस्से में निलगू निशान 10.5 x 2.5 से०मी० था । चोट सं०-5- पीठ के दांऐ तथा उपरी हिससे में निलगू निशान 7.5 x 3.0 से०मी० था । चोट सं०-6-दाहिने हाथ में निलगू निशान 2.5 x 2.0 से०मी० था । चोट सं०-7-दांऐ हाथ तथा बांऐ हाथ में दर्द की शिकायत थी । चोट सं०-8- दोनों पैर के मांसपेशी में दर्द की शिकायत थी । चोटहिल को एक्स-रे की सलाह दी गई थी । उपरोक्त सभी चोटें किसी सख्त कुन्दाले से पहुॅचाई जाने का भी राय

इस साक्षी ने दिया है ।

दुर्गावती के चिकित्सीय परीक्षण चोट प्रपत्र प्रदर्श क-7 को भी इस साक्षी पी०डब्लू०-5 ने साबित किया है । इसका चिकित्सीय जॉच दिनांक 29.06.2019 को 04.05 पी०एम० पर सी०एच०सी० रेवती पर हुआ । चोटहिल दुर्गावती को चोट सं०-1 बांऐ हाथ के तीसरे और चौथे अंगूली के मध्य में फटा हुआ 3.5 x 1.0 से०मी० था, जिससे रक्तस्राव हो रहा था । चोट सं०-2- दोनों जांघ में निलगू निशान 5.0 x 1.0 से०मी० था । चोट सं०-3- कमर के हिस्से में दर्द की शिकायत थी । उपरोक्त सभी चोटें किसी सख्त कुन्दाले से पहुॅचाए जाने का भी राय इस साक्षी ने दिया है ।

मृतक श्याम नरायण का पोस्टमार्टम डॉ० संतोष चौधरी पी०डब्लू०-7 ने किया था और इसे प्रदर्श क-8 के रूप में साबित किया है । पी०डब्लू०-7 के साक्ष्य के अनुसार मृतक श्याम नरायण का मृत्युपूर्व फटा हुआ घाव सिर के बांए तरफ 6 से०मी० x 2 से०मी० हड्डी की गहराई तक जिसके विच्छेदन पर भारी आंतरिक रक्त स्राव, हेमाटोमा तथा सिर की हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया । चोट सं०-2 बांए फोर आर्म के अल्ना में नीलगू निशान व फ्रैक्चर पाया गया । चोट सं०-3 खराश युक्त नीलगू निशान कमर के निचले हिस्से में दोनों तरफ 5 से०मी० x 3 से०मी० पाया गया । आंतरिक परीक्षण में मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी । मृत्यु का सम्भावित समय 8 से 12 घण्टे के आस-पास अनुमानित होना कहा गया । इस साक्षी ने मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व सिर में लगी चोट के कारण पाया है । पी०डब्लू०-7 डॉ० संतोष चौधरी ने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि फावड़ा, टांगी, कुल्हाड़ी आदि धारदार हथियार से मृतक को कोई चोट नहीं आई थी । लाठी, डण्डा या ईट-पत्थर सख्त कुन्दाले से अगर आपस में अपने परिवार वालों में मारपीट होने पर चोटें आनी सम्भव है । यह चोटें बारह घण्टे पूर्व व आधा घण्टे बाद लगभग की हो सकती है ।

चुटहिल एवं चक्षुदर्शी उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के हाथ में लाठी, डण्डा, फरसा, फावड़ा, टांगी, कुदाल होने का साक्ष्य आया है । घटनास्थल कृषि भूमि है । घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क-11 को निरीक्षक दिग्विजय सिंह पी०डब्लू०-11 के द्वारा तैयार किया गया और उसे साबित किया गया, जिस पर प्रदर्श क-11 डाला गया है। घटनास्थल में **ए** स्थान पर विवादित मेढ से एक कदम की दूरी से अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डण्डा, टांगी, फावड़ा, कुदाल से वादी मुकदमा व अन्य मजरूबान को मारपीट कर गम्भीर चोटे कारित करना दर्शित है । इससे यह स्पष्ट है कि खेती का काम करने वाले किसान, मजदूर व्यक्ति के पास कुदाल, टांगी, फावड़ा, लाठी, डण्डा आदि होना सामान्य बात है । यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फावड़ा एवं कुदाल लगभग एक ही औजार है जिससे खेती करने हेतु मिट्टी को काटने आदि के प्रयोग में लाया जाता है। फावड़ा अथवा कुदाल में लकड़ी का डण्डा लगा होता है तथा फावड़ा/कुदाल लोहे का होता है जिसका एक सिरा मिट्टी काटने हेतु धारदार होता है और पिछला हिस्सा सख्त कुन्दाले के रूप में होता है। उपरोक्त चुटहिलगण एवं मृतक के शरीर पर जो चोटें आई है वह सख्त एवं कुन्दाले जैसे लाठी, डण्डा अथवा फावड़ा/कुदाल के पिछले भाग से पहुॅचाए जाने पर उक्त चोटें आ सकती है । मृतक श्याम नरायण के सिर पर जो फटा हुआ घाव एवं सिर की हड्डी का फ्रैक्चर होना और हेमाटोमा तथा आंतरिक रक्तस्राव होने का साक्ष्य आया है वह निश्चय ही ठोस एवं सख्त कुन्दाले जैसे लाठी, डण्डा, टांगी व फावड़ा को पलट कर मारने से आना सम्भव है ।

बालू सुदम खालदे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, दाण्डिक अपील सं०-1910/2010 निर्णय दिनांकित 29.03.2023 में माननीय न्यायालय में पैरा-25 में यह मत व्यक्त किया है कि- "The appreciation of ocular evidence is a hard task. There is no fixed or straight-jacket formula for appreciation of the ocular evidence. The judicially evolved

principles for appreciation of ocular evidence in a criminal case can be enumerated as under:

> "I. While appreciating the evidence of a witness, the approach must be whether the evidence of the witness read as a whole appears to have a ring of truth. Once that impression is formed, it is undoubtedly necessary for the Court to scrutinize the evidence more particularly keeping in view the deficiencies, drawbacks and infirmities pointed out in the evidence as a whole and evaluate them to find out whether it is against the general tenor of the evidence given by the witness and whether the earlier evaluation of the evidence is shaken as to render it unworthy of belief.
>
> II. If the Court before whom the witness gives evidence had the opportunity to form the opinion about the general tenor of evidence given by the witness, the appellate court which had not this benefit will have to attach due weight to the appreciation of evidence by the trial court and unless there are reasons weighty and formidable it would not be proper to reject the evidence on the ground of minor variations or infirmities in the matter of trivial details.
>
> III. When eye-witness is examined at length it is quite possible for him to make some discrepancies. But courts should bear in mind that it is only when discrepancies in the evidence of a witness are so incompatible with the credibility of his version that the court is justified in jettisoning his evidence.
>
> IV. Minor discrepancies on trivial matters not touching the core of the case, hyper technical approach by taking sentences torn out of context here or there from the evidence, attaching importance to some technical error committed by the investigating officer not going to the root of the matter would not ordinarily permit rejection of the evidence as a whole.
>
> V. Too serious a view to be adopted on mere variations falling in the narration of an incident (either as between the evidence of two witnesses or as between two statements of the same witness) is an unrealistic approach for judicial scrutiny.
>
> VI. By and large a witness cannot be expected to possess a photographic memory and to recall the details of an incident. It is not as if a video tape is replayed on the mental screen.
>
> VII. Ordinarily it so happens that a witness is overtaken by events. The witness could not have anticipated the occurrence which so often has an element of surprise. The mental faculties therefore cannot be expected to be attuned to absorb the details.
>
> VIII. The powers of observation differ from person to person. What

one may notice, another may not. An object or movement might emboss its image on one person's mind whereas it might go unnoticed on the part of another.

IX. By and large people cannot accurately recall a conversation and reproduce the very words used by them or heard by them. They can only recall the main purport of the conversation. It is unrealistic to expect a witness to be a human tape recorder.

X. In regard to exact time of an incident, or the time duration of an occurrence, usually, people make their estimates by guess work on the spur of the moment at the time of interrogation. And one cannot expect people to make very precise or reliable estimates in such matters. Again, it depends on the time-sense of individuals which varies from person to person.

XI. Ordinarily a witness cannot be expected to recall accurately the sequence of events which take place in rapid succession or in a short time span. A witness is liable to get confused, or mixed up when interrogated later on.

XII. A witness, though wholly truthful, is liable to be overawed by the court atmosphere and the piercing cross examination by counsel and out of nervousness mix up facts, get confused regarding sequence of events, or fill up details from imagination on the spur of the moment. The sub-conscious mind of the witness sometimes so operates on account of the fear of looking foolish or being disbelieved though the witness is giving a truthful and honest account of the occurrence witnessed by him.

XIII. A former statement though seemingly inconsistent with the evidence need not necessarily be sufficient to amount to contradiction. Unless the former statement has the potency to discredit the later statement, even if the later statement is at variance with the former to some extent it would not be helpful to contradict that witness."

बालू सुदम खालदे के निर्णय उपरोक्त में माननीय न्यायालय ने पैरा- 26, 38, 39, 41, 42 एवं व 44 में निम्न प्रकार अवधारित किया गया हैः-

26. When the evidence of an injured eye-witness is to be appreciated, the under-

noted legal principles enunciated by the Courts are required to be kept in mind:

(a) The presence of an injured eye-witness at the time and place of the occurrence cannot be doubted unless there are material contradictions

in his deposition.

(b) Unless, it is otherwise established by the evidence, it must be believed that an injured witness would not allow the real culprits to escape and falsely implicate the accused.

(c) The evidence of injured witness has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly.

(d) The evidence of injured witness cannot be doubted on account of some embellishment in natural conduct or minor contradictions.

(e) If there be any exaggeration or immaterial embellishments in the evidence of an injured witness, then such contradiction, exaggeration or embellishment should be discarded from the evidence of injured, but not the whole evidence.

(f) The broad substratum of the prosecution version must be taken into consideration and discrepancies which normally creep due to loss of memory with passage of time should be discarded.

38. Thus, from the above it is evident that the suggestion made by the defence counsel to a witness in the cross-examination if found to be incriminating in nature in any manner would definitely bind the accused and the accused cannot get away on the plea that his counsel had no implied authority to make suggestions in the nature of admissions against his client.

39. Any concession or admission of a fact by a defence counsel would definitely be binding on his client, except the concession on the point of law. As a legal proposition we cannot agree with the submission canvassed on behalf of the appellants that an answer by a witness to a suggestion made by the defence counsel in the cross- examination does not deserve any value or utility if it incriminates the accused in any manner.

41. The principle of law that in a criminal case, a lawyer has no implied authority to make admissions against his client during the progress of the trial would hold good only in cases where dispensation

of proof by the prosecution is not permissible in law.

For example, it is obligatory on the part of the prosecution to prove the post mortem report by examining the doctor. The accused cannot admit the contents of the post mortem report thereby absolving the prosecution from its duty to prove the contents of the same in accordance with law by examining the doctor. This is so because if the evidence per se is inadmissible in law then a defence counsel has no authority to make it admissible with his consent.

42. Therefore, we are of the opinion that suggestions made to the witness by the defence counsel and the reply to such suggestions would definitely form part of the evidence and can be relied upon by the Court along with other evidence on record to determine the guilt of the accused.

44. During the course of cross-examination with a view to discredit the witness or to establish the defence on preponderance of probabilities suggestions are hurled on the witness but if such suggestions, the answer to those incriminate the accused in any manner then the same would definitely be binding and could be taken into consideration along with other evidence on record in support of the same.

उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के हाथ में लाठी, डण्डा, टांगी व फावड़ा/कुदाल था जिसे सख्त एवं कुन्दाले के तरह प्रयोग किया गया तथा चुटहिल एवं मृतक को चोटें पहुँचाई गयी । चुटहिल साक्षीगण एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण एवं चिकित्सीय साक्ष्य में समानता एवं एकरूपता पाई जाती है । मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य एक-दूसरे को इस आशय से पुष्ट करते हुए पाए जाते हैं कि घटना कारित करने में लाठी, डण्डा, फावड़ा व टांगी आदि का प्रयोग हुआ । फावड़ा एवं टांगी के धारदार भाग का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि उसके पिछले भाग जो सख्त एवं कुन्दाले के रूप में होता है, उस वाले भाग का प्रयोग किया गया।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य मृतक एवं चुटहिलगण की चोटों के संबंध आला कत्ल सख्त एवं कुन्दाले के संबंध में एक-दूसरे को सम्पुष्ट करते है ।

अवधार्य प्रश्न संख्या-3

क्या आला कत्ल की बरामदगी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विधि अनुसार की गई है?

धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्न प्रावधान किया गया है-

अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी- परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी ।

पुलिस अभिरक्षा में दिए गए साक्ष्य के संबंध में सामान्य रूप से विधि का यह सिद्धान्त है कि ऐसा साक्ष्य न्यायालय में ग्राह्य नहीं होता है। हालांकि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस संबंध में अपवाद के रूप में होता है । धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तभी लागू होता है अगर संस्वीकृति कथन से किसी नए तथ्य की जानकारी होती है । नए तथ्य की जानकारी के सीमा तक ही यह सुसंगत होता है ।

It was held by Hon'ble Court in **Navaneetha Krishnan Vs. State (by Inspector of Police) AIR 2018 SC 2027** that Section 27 of Indian Evidence Act is applicable only if confessional statement leads to discovery of some new facts. Relevance is limited as it relates distinctly to fact thereby discovered. In **Md. Inyatullah Vs. State of Maharashtra AIR 1976 SC 483** it was held by the Hon'ble Court that only those components after splitting the statement under Section 27, the components or portion which were the immediate cause of discovery would be legal evidence and not the rest which must be excised or rejected In **Kamal Kishore Vs. State of Delhi Administration (1997) 2 Crime 169 Delhi** it was held by the Hon'ble Court that a fact discovered in any information supplied by the accused in his disclosure statement is relevant fact and that is only admissible in evidence is something new is discovered or recovered from the accused which was not within the knowledge of the police before recording the disclosure statement of the accused.

धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस के अभिरक्षा में दिए गए कथन धारा 27 के अन्तर्गत ग्राह्य होते हैं, यदि व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो और संस्वीकृति करते समय वह पुलिस अभिरक्षा में हो ।

Rajesh and another Vs State of Madhya Pradesh Criminal Appeal No. 795/2022 decided on 21.09.2023 where the Hon'ble Supreme Court has held in para 22 in following words–

It is essential under Section 27 of the Evidence Act that the person concerned must be 'accused of an offence' and being in the 'custody of a police officer', he or she must give information leading to the discovery of a fact and so much of that information, whether it amounts to a confession or not, that relates distinctly to the fact discovered, may be proved against him.

In effect, both aspects, viz, being in 'the custody of a police officer' and being 'accused of an offence', are indispensable pre–requisites to render aconfession made to the police admissible to a limited extent, by bringing into play the exception postulated under Section 27 of the Evidence Act

लिखित तहरीर प्रर्दश क-3 एवं ऊपर वर्णित अभियोजन साक्षीगण के मुख्य परीक्षा के अनुसार अभियुक्तगण ने लाठी, डण्डा, फावड़ा, टांगी, फरसा का प्रयोग मृतक एवं चुटहिलगण को मारपीट करने में किया। इंस्पेक्टर शिव मिलन विवेचक पी०डब्लू-10 के द्वारा अभियुक्तगण शिवजी एवं शुकुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया । पी०डब्लू०-10 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवजी वर्मा व शुकुल वर्मा से पूछताछ पर बताया कि जिस फावडा से उसने श्याम नरायण व उसके घर वालों को मारा था उसने अपने घर के कोने में रखा है उसे चलने पर विवेचक को दे सकता है तथा उस फावड़े पर अभी भी खून लगा है । अभियुक्त को मौके पर ले जाया गया । अभियुक्त गाड़ी से उतर कर आगे-आगे चलकर अपने कमरे के कोने से एक फावड़ा निकाल कर दिया और बताया कि यह वही फावड़ा है जिससे उसने उस दिन मृतक श्यामनरायण व उसे घर वालों को मारा था । उक्त फर्द बरामदगी पर प्रदर्श क-10 अंकित किया गया । फर्द बरामदगी आला कत्ल एक अदद फावड़ा पर अभियुक्त शिवजी का हस्ताक्षर दर्शित है । फर्द बरामदगी में यह उल्लेख किया गया है कि .... एक खड़े व्यक्ति को घेर कर समय 07.30 एम०एम० पर पकड़ लिया गया, पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शिवजी वर्मा पुत्र सूरज उर्फ रामसूरुज वर्मा निवासी कुशहर थाना सहतवार जिला बलिया उम्र 22 वर्ष बताया । कारण गिरफ्तारी व उसके जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया एवं कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 29.06.2019 को गांव में राजनरायण व लक्ष्मण आदि में जमीन को लेकर विवाद हो गया था दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी । मारपीट में वह भी लक्ष्मण, शुक्ला वर्मा, छट्ठू वर्मा आदि के साथ सम्मिलित था, उसके हाथ में फावड़ा था। फावड़ा से उसने राजनरायण उसके भाई श्याम नरायण व रविन्द्र वर्मा व उसके अन्य घर वालों को मारा पीटा था । जिस फावड़े से मृतक व उसके अन्य घर वालों पर हमला किया था उस फावड़े को वह अपने घर के कोने में रखा है चलकर उसे दे सकता है । फावड़े पर अभी भी खून लगा हुआ है । अभियुक्त आगे-आगे चलकर अपने कमरे के कोने से एक फावड़ा उठा कर दिया ।

उ०नि० मंतोष सिंह पी०डब्लू०-8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 30.06.2019 को मुखबिर की सूचना पर दो व्यक्तियों को पकड़ गया। पकड़े गए व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने छट्ठू वर्मा पुत्र देवनरायन वर्मा तथा दूसरे ने अपना नाम जीतन वर्मा पुत्र श्री किशुन वर्मा निवासीगण कुशहर थाना सहतवार जिला बलिया बताया । उपरोक्त अभियुक्तगण मु०अ०सं०-93/19, धारा 147, 148, 149, 307, 302, 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना सहतवार में नामजद अभियुक्त है से अवगत कराया गया । अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि घटना के समय वे लोग लाठी से रामनरायन वर्मा व उनके परिवार वालों को मार पीट कर भाग गए थे, लाठी को अपने घर के कोने में रखे है जिसे घर चलने पर दे सकते है । अभियुक्तगणों को साथ लेकर जाने पर अभियुक्त जीतन ने अपने घर के पक्की मकान से एक लाठी निकाल कर दिया जिसकी लम्बाई लगभग पांच फुट दस इंच थी जो हल्की मोटी तथा गांठदार थी जिसमें रक्त लगा हुआ था । अभियुक्त ने बताया कि यह खून मारपीट से लगा है । इसके बाद वे लोग अभियुक्त छट्ठू वर्मा के घर गए जहां से छट्ठू वर्मा ने अपने मड़ई के कोने से एक लाठी निकाल कर दिया जिसकी लम्बाई सात बालिस्त चार अंगूल थी तथा हल्की पतली बरामद हुई ।

इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह पी०डब्लू०-11 के द्वारा न्यायालय की अनुमति से सील बंद सफेद कपड़ा का सील खोल कर बांस का डण्डा निकला गया, जिसे गवाह ने देख कर कहा कि यह वही डण्डा है जो दौरान विवेचना अभियुक्त छट्ठू वर्मा द्वारा अपने मढ़हे से निकाल कर दिया था, कपड़े पर वस्तु **प्रदर्श-1 ए** व डण्डे पर वस्तु **प्रदर्श-2 ए** डाला गया ।

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के उपरोक्त आवश्यक तत्वों की पूर्ति करते हुए गिरफ्तार

शुदा अभियुक्तगण शिवजी, शुकुल वर्मा, छट्टू वर्मा व जीतन वर्मा को पुलिस अभिरक्षा में वर्तमान अपराध सं०- 93/19, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 302, 323, 504, 506 भा०दं०सं० में अभियुक्त के रूप में स्वेच्छा से अपराध में प्रयुक्त आला कत्ल लाठी, डण्डा व फावड़ा की बरामदगी पुलिस अभिरक्षा में ही रहते हुए कराया है । इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं रखा गया है ।

बचाव पक्ष के द्वारा साक्षी उ०नि० मंतोष सिंह पी०डब्लू०-08, साक्षी इंस्पेक्टर शिव मिलन विवेचक पी०डब्लू०-10 व साक्षी इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह पी०डब्लू०-11 से विस्तृत प्रति परीक्षण की गई है लाठी, डण्डा, फावड़ा की बरामदगी के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रति परीक्षण में नहीं आया है जिससे आला कत्ल लाठी, डण्डा, फावड़ा की बरामदगी संदिग्ध मानी जाए ।

अवधार्य प्रश्न संख्या-4

क्या अभियोजन के द्वारा सभी चोटहिल साक्षीगण एवं चक्षुदर्शी साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सभी संदेहों से परे साबित किया गया है ?

लिखित तहरीर प्रदर्श क-3 के अनुसार अभियुक्तगण शुक्ला, लक्ष्मण, शिवमुनी, छट्टू, अरविन्द, शिवजी, जीतन, जवाहिर, मंगरू व दो-तीन व्यक्ति लाठी, डण्डा, टांगी, फरसा लेकर जान से मारने की नियत से वादी व उसके भाई श्याम नारायण, वादी का लड़का अवधेश तथा रविन्द्र कुमार एवं वादी की पत्नी दुर्गावती देवी को सिर व बाहों में मारपीट कर चोटें पहुँचाई । शोर करने पर भद्दी-भद्दी गाली एवं जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए । मारपीट में वादी के भाई श्याम नारायण को काफी चोटें आई थी, जिसे इलाज कराने के लिए बलिया ले जा रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई ।

चुटैल साक्षी रविन्द्र कुमार वर्मा पी०डब्लू०-2 ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 29.06.2019 को सुबह 08.30 बजे वह, उसके पिता राजनरायण, उसका भाई अवधेश व उसकी मॉ दुर्गावती तथा चाचा श्याम नरायण खेत बोने गए थे । उनके खेत के बगल में अभियुक्त शुकुल वर्मा वगैरह का खेत है । शुकुल वर्मा तथा लक्ष्मण वर्मा वगैरह उसके खेत का डाड़ तोड़ रहे थे । उसके चाचा श्यामनरायण ने मना किया तभी एकाएक शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा तथा जीतन वर्मा एक राय होकर लाठी, डण्डा, फरसा, फावड़ा से जान से मारने की नियत से उसके चाचा को मार दिए । उन लोगों ने बीच-बचाव किया तो उपरोक्त सभी लोग चुटहिलगण को भी मार कर बुरी तरह घायल कर दिए । उसके चाचा का सिर फट गया था तथा मौके पर बेहोश हो गए थे । बेहोशी के हालत में अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई । प्रति परीक्षण के पृष्ठ-2 पर साक्षी पी०डब्लू०-2 ने कथन किया है कि उसके खेत के दक्षिण दिशा में काली जी का मंदिर है, जो खेत से सटा नहीं है । खेत से कितनी दूरी पर काली जी का मन्दिर है वह नहीं बता सकता । पी०डब्लू०-2 ने प्रति परीक्षण के पृष्ठ-3 पर यह कथन किया है कि उसके खेत के पश्चिम अच्छेलाल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा का खेत है । अच्छेलाल के खेत की चौड़ाई लगभग उत्तर दक्षिण 4 लट्ठा होगी । लक्ष्मण वर्मा का खेत अच्छेलाल वर्मा के दक्षिण लगभग 8 लट्ठा चौड़ा होगा । एक लट्ठा लगभग साढ़े चार हाथ होगा । ....अच्छेलाल व बच्चालाल के खेत के बीच व उसके खेत के मेढ पर पांच बकाइन के पेड़ है, ये बकाइन के पेड़ मेढ़ पर अच्छेलाल व लक्ष्मण वर्मा ने लगाए थे । घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क-11 और उपरोक्त साक्ष्य एक समान पाए जाते है । मानचित्र प्रदर्श क-11 में भी घटनास्थल वाले मेढ़ पर बकाइन के पेड़ विवेचक ने दर्शाये है । विवेचक के द्वारा बनाए गए मानचित्र में ही अभियुक्तगण एवं वादी के खेत के दक्षिण काली जी का मन्दिर दर्शाया गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी रविन्द्र कुमार वर्मा पी०डब्लू०-2

घटनास्थल पर उपस्थित था और घटनास्थल के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है । प्रति परीक्षण के पृष्ठ-3 पर बचाव पक्ष ने प्रश्न पूछा कि क्या घटना के दिन वादी पक्ष के लोगों में कहा-सुनी हुई और मुल्जिमान अपने-अपने घरों से लाठी, टांगी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, फरूहा, फरसा लेकर आए और आप लोगों पर हमला किए तो इस साक्षी पी०डब्लू०-2 ने यह उत्तर दिया कि लक्ष्मण वर्मा और शुक्लु वर्मा से उसके चाचा श्यामनरायण वर्मा से कहा-सुनी हुई उसके बाद बाकी लोग अपने घरों से लाठी, टांगी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, फरूहा, फरसा लेकर आए और उसके चाचा को मारने लगे । आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि उस वक्त मुल्जिमान ने उसे (पी०डब्लू०-2) और उसके पिता राजनरायण वर्मा, उसकी माता दुर्गावती देवी एवं भाई अवधेश को भी मारा था । उपरोक्त हथियारों से उन लोगों को भी चोटें आई थी । इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा प्रश्न पूछ कर अभियोजन के इस कथानक को स्वीकार कर लिया गया है कि अभियुक्तगण लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी, फावड़ा, फरूहा, फरसा लेकर आए और श्याम नरायण वर्मा को मारे । मारने से पूर्व श्याम नरायण वर्मा और अभियुक्तगण लक्ष्मण वर्मा व शुक्लु वर्मा के बीच कहा-सुनी हुई और इसी कहा-सुनी के परिणाम स्वरूप सभी अभियुक्तगण ने मिल कर मृतक श्याम नरायण वर्मा के साथ मारपीट की । इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के द्वारा प्रति परीक्षण में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में रविन्द्र कुमार वर्मा पी०डब्लू०-2 ने पृष्ठ-3 पर यह स्वीकार किया है कि उसी समय मुल्जिमान ने उसे (पी०डब्लू०-2), उसके पिता राजनरायण वर्मा, उसकी माता दुर्गावती देवी एवं भाई अवधेश को भी मारा था । उन्हें भी उसी हथियारों से चोट आई थी जिन हथियारों से अभियुक्तगण ने मृतक श्याम नरायण वर्मा को मारपीट कर चोटें पहुॅचाई थी । पुनः बचाव पक्ष ने पृष्ठ-4 पर प्रति परीक्षण में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर सभी लोग उपस्थित थे तो श्याम नरायण वर्मा को सरकारी अस्पताल रेवती ले जाया गया। घायलों की स्थिति गम्भीर देखते हुए रेवती अस्पताल के चिकित्सक ने जिला अस्पताल बलिया के लिए रेफर किया । पी०डब्लू०-2 ने आगे प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसके चाचा श्याम नरायण वर्मा के सिर के पिछले हिस्से में, माथे पर, हाथ में और पीठ में चोट उसने देखा था । घटनास्थल, घटना का समय, घटना की तिथि और मारपीट होने के तथ्य को बचाव पक्ष स्वीकार करता है । यह स्वीकारोक्ति पी०डब्लू०-2 पृष्ठ-4 पर बचाव पक्ष द्वारा दिए गए सूझाव से भी स्पष्ट होता है । पी०डब्लू०-2 ने बचाव पक्ष के द्वारा पृष्ठ-4 पर दिए गए सूझाव कि, श्याम नरायण, राज नरायण व उन सभी में आपस में मारपीट हुई और श्याम नरायण को चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई को गलत होना कहा है । इस साक्षी ने श्याम नरायण के पड़ोसियों के द्वारा उसे और उसके भाई और माता को घर पर चोटें पहुॅचाने के सूझाव को भी गलत कहा है । इस प्रकार बचाव पक्ष घटनास्थल पर घटना के समय मारपीट होने की बात स्वीकार करता है । केवल मारपीट किसके द्वारा की गई है यह तथ्य अभियोजन के साक्ष्य से निर्धारित किया जाना है । पी०डब्लू०-2 के द्वारा पृष्ठ-3 पर जो स्वीकारोक्ति स्वरूप बचाव पक्ष के द्वारा प्रश्न पूछे गए है वह ऊपर उद्धृत किया जा चुका है ।

अवधेश कुमार वर्मा पी०डब्लू०-3 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में उपरोक्तानुसार अभियोजन कथानक का समर्थन किया है । अवधेश कुमार वर्मा पी०डब्लू०-3 ने प्रति परीक्षण के पृष्ठ-2 पर यह कथन किया है कि ......"घटना के पूर्व खम्भा गाड़ने, उसे तोड़ने के लिए मारपीट हुई थी । मारपीट में शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा उनके भाई मैनेजर वर्मा की उसके चाचा श्यामनरायण से झगड़ा हुआ था ।" .....उसके बाद श्याम नरायण वर्मा ने रिपोर्ट किया था । पृष्ठ-3 पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके मूंगफली के खेत के उत्तर दिशा में चकरोड है, पश्चिम दिशा में लक्ष्मण वर्मा, शुकुल वर्मा इत्यादि लोगों का खेत है और दक्षिण दिशा में रामाधार का खेत है तथा पूर्व दिशा में परशुराम बरई का खेत है । घटनास्थल की चौहद्दी को विवेचक ने मानचित्र प्रदर्श क-11 में दर्शाया है । दक्षिण दिशा एवं पूर्व दिशा के संबंध में मानचित्र प्रदर्श क-11 में कोई तथ्य नहीं दर्शाया गया है । पृष्ठ-4 पर प्रति परीक्षण में पी०डब्लू-3 ने कथन किया है कि सभी मुल्जिमान लाठी, डण्डा, टांगी, फावड़ा, फरसा लेकर अचानक आ गए ।

उसके बाद मूंगफली वाले खेत पर पहुॅच गए और सभी मुल्जिमान उपरोक्त ने अपने-अपने हथियारों से उसे (पी०डब्लू०-3) व उसके चाचा श्याम नरायण वर्मा को मारे थे । इसके अलावा उसके बड़े भाई रविन्द्र वर्मा, पिता राजनरायण वर्मा, माता दुर्गावती देवी को भी मारा था । मूंगफली वाले खेत में जहॉ मारपीट हुई थी वहॉ खून गिरा था और सभी घायलों के कपड़ों में भी खून लगा था । घटना के दिन ही दरोगाजी लगभग 6 बजे शाम को घटनास्थल पर आए थे । इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा प्रति परीक्षण में किए गए प्रश्न के उत्तर में भी इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा लाठी, डण्डा, टांगी, फावड़ा, फरसा से मारपीट कर मृतक श्याम नरायण वर्मा को चोटें पहुॅचाई गई जिससे उसकी मृत्यु हुई । बचाव पक्ष ने इस तथ्य को भी स्पष्ट करा दिया है कि खेत में जुताई हुई थी और लोगों के आने से खेत में खून नहीं मिल पाया था । खेत में मारपीट के कारण मृतक का रक्त जुते हुए खेत में अगर गिरा होगा तो निश्चय ही लगभग 15 व्यक्ति या उससे अधिक लोगों के द्वारा मारपीट के क्रम में जुते हुए खेत में आने-जाने के कारण रक्त का नहीं मिलना स्वभाविक है । इस तथ्य को बचाव पक्ष भी प्रति परीक्षण में स्वीकार करता है कि लोगों के आने-जाने के कारण जुताई वाले खेत में रक्त नहीं मिल पाया था । पी०डब्लू०-3 ने पृष्ठ-4 पर यह भी कथन किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं था इसलिए नहीं बता सकता कि दरोगा जी घटनास्थल पर किसका-किसका बयान लिए थे । साक्षी के साक्ष्य को सम्पूर्णता से देखने से यह स्पष्ट होता है कि विवेचक घटना के दिन शाम में 06 बजे घटनास्थल पर पहुॅचे थे और यह साक्षी पी०डब्लू०-3 घटनास्थल पर 06 बजे शाम में नहीं जाने की बात बता रहा है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अवधेश कुमार वर्मा पी०डब्लू०-3 घटनास्थल पर घटना के समय सुबह 08.30 बजे घटनास्थल पर नहीं था ।यह सम्भव है कि अवधेश कुमार वर्मा पी०डब्लू०-3 घटनास्थल पर शाम में 06 बजे विवेचक के आने के समय बयान अंकित करते समय घटनास्थल पर नहीं था । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक साक्षी अथवा प्रत्येक व्यक्ति हर समय हर जगह पर उपस्थित रहेगा ।

राजनरायण वर्मा पी०डब्लू०-4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए पूर्व के साक्षी के साक्ष्य के अनुरूप ही कथन किया है । पी०डब्लू०-4 ने यह भी कथन किया है कि उसके खेत के पश्चिमी छोर का डाड़ टूटा था जिसे उसका भाई श्यामनरायण ठीक कर रहा था । उसी दौरान पूर्व के विवाद को लेकर शुकुल वर्मा अपने हाथ में फरसा व लक्ष्मण वर्मा टांगी तथा शिवमुनी फावड़ा तथा शिवजी फावड़ा तथा छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, जीतन वर्मा, मंगरू वर्मा व जवाहिर वर्मा अपने हाथ में लाठी, डण्डा लिए आए और भद्दी-भद्दी गालिया देने लगे । मना करने पर उपरोक्त सभी लोग आवेशित होकर अपने-अपने हाथ में लिए लाठी, डण्डा, फावड़ा, फरसा व टांगी से उसके भाई श्याम नरायण को जान से मारने की नियत से मारने लगे । उनको बचाने उसकी पत्नी दुर्गावती, स्वयं वादी, उसके लड़के रविन्द्र वर्मा व अवधेश वर्मा गए तो उपरोक्त लोगों ने इन लोगों को भी मारा पीटा। इस तथ्य का समर्थन अवधेश कुमार वर्मा पी०डब्लू०-3 के साक्ष्य से होता है । उसने (पी०डब्लू०-3) यह कथन किया है कि घटना के पूर्व खम्भा गाड़ने, उसे तोड़ने के लिए मारपीट हुई थी । मारपीट में शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा उनके भाई मैनेजर वर्मा की उसके चाचा श्यामनरायण से झगड़ा हुआ था । बचाव पक्ष की ओर से पृष्ठ-5 पर पी०डब्लू०-4 को दिए गए सूझाव को गलत होना कहा है कि गांव की आबादी से आकर सभी मुल्जिमान अपने हाथ में लाठी, डण्डा, फरसा, टांगी, फावड़ा लेकर आक्रमण कर दिए। अभियुक्तगण अच्छेलाल वर्मा के घर से हथियार लेकर आए और आक्रमण किए थे । इस प्रकार इस साक्षी ने सही कहा है कि अभियुक्तगण गांव की आबादी से न आकर घटनास्थल के पास अच्छेलाल के घर से हथियार लेकर आक्रमण किए थे । पृष्ठ-5 पर पी०डब्लू०-4 ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि सभी मुल्जिमान शुकुल के घर में रखे हुए उपरोक्त हथियारों को लेकर उसके खेत पर उन लोगों को घेर कर मारने लगे । मारकर सभी मुल्जिमान पूरब की तरफ भाग गए । फरसा, फावड़ा, टांगी में अन्तर जानता है। उसके (पी०डब्लू०-4) छोटे भाई श्यामनरायण को हथियार के धार वाले हिस्से से मारा था । उसे

धारदार हथियार से नहीं मारा था । इस साक्षी ने केवल एक स्थान पर यह कथन किया है कि श्यानरायण को हथियार के धार वाले हिस्से से मारा गया था । इस एकमात्र कथन के होने के कारण उक्त तथ्य को अनदेखा किया जा सकता है । पृष्ठ-7 पर पी०डब्लू०-4 ने यह कथन किया है कि उसके भाई श्यामनरायण को कुल्हाड़ी, फरसा व टांगी की चोट सिर के आगे व पीछे आई थी । पृष्ठ-7 पर इस साक्षी ने कथन किया है कि गांव से बाहर जाने वाले रास्ते के दक्षिण अक्षयलाल वर्मा का खेत है जो उनका पूर्वी मेढ़ा ट्रैक्टर के जुताई से टूट गया था । लगभग एक फीट पश्चिम में ट्रैक्टर से कट गया था । वह ट्रैक्टर बुलाकर जुतवाया था उसी ट्रैक्टर से अक्षयलाल वर्मा का पूर्वी मेढ़ा टूट गया था, फिर कहा कि अक्षय लाल का मेढ़ पहले से टूटा था, उसी टूटे हुए मेढ़ के लिए झगड़ा हुआ था । सभी मुल्जिमान अपने-अपने घरों से आए और अक्षयलाल वर्मा के मकान के अन्दर से लाठी, फावड़ा, फरसा, टांगी निकालकर आए और उन लोगों पर आक्रमण कर दिए । कच्चा रास्ता से एक कदम दक्षिण उसके खेत में खून गिरा था, जुते हुए खेत में गिरा हुआ खून लोगों द्वारा रौद दिया गया था, इसलिए दरोगा जी को वहां खून नहीं मिला । श्यामनरायण को जिन्दा अवस्था में रेवती स्वास्थ्य केन्द्र ले गए और वहां से रेफर करने पर बलिया ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई ।

चंदा देवी पी०डब्लू०-6 ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य के अनुसार अभियोजन कथानक का समर्थन किया है । इस साक्षी ने यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके गांव के शुकुल उर्फ शुक्ला, लक्ष्मण, छट्टू, शिवमुनी, जीतन, अरविन्द, जवाहिर, मंगरू व शिवजी तथा दो-तीन लोग और मिलकर उसके पति श्यामनरायण वर्मा, जेठ राजनरायण वर्मा, जेठानी दुर्गावती तथा भतीजा रविन्द्र व अवधेश को मेढ़ तोड़ने के विवाद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा व फावड़ा से हमला कर दिए और मारने पीटने लगे । प्रति परीक्षण के पृष्ठ-3 पर इस सक्षी ने कथन किया है कि घर के लोग खेत में काम करने के लिए सुबह 06-07 बजे तक निकल जाते है । जाते वक्त कुछ खा पीकर नहीं जाते है । नाश्ता आठ-साढ़े आठ बजे घर से लेकर लोग जाते है । .....घटना के दिन घटनास्थल पर वह बाद में गई थी, साथ-साथ नहीं गई थी । घटना के दिन वह घटनास्थल पर पांच-दस मिनट रूकी थी उस दिन भी नाश्ता लेकर गई थी । उस दिन श्याम नरायण नाश्ता नही किए थे। उस दिन नाश्ते में नमकीन, चाय लेकर गई थी । वह पहुॅची तो वहां झगड़ा हो रहा था । .....अभियुक्त शिवजी, शिवमुनी फावड़ा लिए थे बाकी लोक लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी, फरसा लिए थे । उस दिन खेत में मूंगफली बोई जा रही थी । इस साक्षी का साक्ष्य केवल इसलिए अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है क्योंकि घटनास्थल वाले खेत की चौहद्दी वह नहीं बता पाई है । पृष्ठ-7 पर इस साक्षी ने कथन किया है कि .....चाय, नमकीन वह अभी खिलाई-पिलाई नहीं थी बल्कि मारपीट हो रही थी । यह मारपीट फावड़ा, कुदाल, फरसा, टांगी, लाठी, डण्डा से हो रही थी । वे लोग कुदाल को ही फावड़ा कहते है । पृष्ठ-8 पर पी०ब्लू०-6 ने यह कथन किया है कि ......वहॅा खून गिरा था लेकिन खेत जोता गया था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था । मेढ़ पर बकाइन का पेड़ देखी थी, लक्ष्मण के खेत के पास था या नहीं वह नहीं बता सकती । पृष्ठ-9 पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि दरोगा जी डेढ़ महीने बाद उससे पूछताछ किए थे । घटना के बाद वह बीमार हो गई थी ।

मृतक के पेट में अधपचा खाना मौजूद था । छोटी आंत में तरल पदार्थ व गैस मौजूद थी। बड़ी आंत में मल पदार्थ व गैस पाया गया । लीवर 1390 ग्राम था । आधा भरा हुआ पित्ताशय पाया गया । चन्दा देवी पी०डब्लू०-6 ने स्पष्ट कथन किया है कि वह चाय, नमकीन लेकर आई थी परन्तु किसी ने कुछ नहीं खाया था । इसका अर्थ यह हुआ कि मृतक रात में जो खाया था वही पेट में अधपचा खाना के रूप में था । छोटी आंत में तरल पदार्थ व गैस का होना भी यह दर्शाता है कि घटना के समय मृतक ने कुछ नहीं खाया था । यदि मृतक सुबह 8.30 बजे कुछ खाता तो पोस्टमार्टम के समय खाना अधपचे हालत में पेट में नहीं पाया जाता । उपरोक्त साक्ष्य से भी पी०डब्लू०-6 की घटनास्थल पर

उपस्थिति एवं अभियुक्तगण की उपस्थिति तथा मृतक एवं चोटहिलगण से भी मारपीट साबित होता है ।

दुर्गावती देवी पी०डब्लू०-9 ने भी ऊपर वर्णित अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य के अनुरूप अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षा में अपना साक्ष्य दिया है । पी०डब्लू०-9 ने प्रति परीक्षण के पृष्ठ-3 पर यह कथन किया है कि उसके पति दो भाई थे । दोनों भाई एक ही में रहते थे । मकान एक में ही है । पृष्ठ-4 पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके खेत के पश्चिम तरफ डड़ार है उत्तर तरफ पूरब-पश्चिम चकरोड है । .....उसके खेत के पश्चिम शुकुल व लक्ष्मण का खेत है और उस डड़ार पर बकाइन का पेड़ लगा हुआ है । ....उसके खेत के पश्चिम दिशा में खून गिरा था, पश्चिम डड़ार पर एक जगह खून गिरा था । वह खेत पर सूर्योदय से एक घण्टा पहले गई थी । सूर्योदय 7 बजे हुआ था, उसकी देवरानी नाश्ता बनाकर खेत में साढ़े आठ बजे लाई थी । नाश्ता अभी उन लोगों ने नहीं किया था कि घटना हो गई । इस साक्षी के साक्ष्य में घटनास्थल वाले खेत की चौहद्दी बताई गई है वह अन्य अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से भी सम्पुष्ट होता है और घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श क-11 से भी समर्थन मिलता है । सूर्योदय 07 बजे होने के संबंध में इस साक्षी ने जो कथन किया है तो यह देखना आवश्यक है कि यह साक्षी न सिर्फ 50 वर्ष की महिला है बल्कि गांव की निरक्षर महिला है । वह अपने अंगुष्ठ निशान लगा कर साक्ष्य दी है । ऐसे साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह सूर्योदय का समय अथवा सूर्यास्त का समय सही-सही बता सकें । प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसकी देवरानी अर्थात चन्दा देवी पी०डब्लू०-6 नाश्ता बना कर खेत में साढ़े आठ बजे लाई थी । नाश्ता अभी उन लोगों ने नहीं किया था कि घटना हो गई । पी०डब्लू०-9 ने पृष्ठ-6 पर प्रति परीक्षण में कथन किया है कि घटना वाले खेत से उसके घर की दूरी नहीं जानती, जाने में दस मिनट का रास्ता है । सभी मुल्जिमानों ने सभी घायलों को अपने-अपने हथियार से मारा था । अभियोजन साक्षी सं०-9 की घटनास्थल पर उपस्थिति भी साबित है । इस प्रकार अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-9 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा अभियुक्तगण के द्वारा मृतक एवं चुटहिलगण के साथ मारपीट किए जाने के तथ्य को साबित किया है । वादी मुकदमा के घर से घटनास्थल वाले खेत की दूरी 10 मिनट की है ।

बचाव पक्ष ने अपना केस सभी तथ्य के अभियोजन साक्षीगण को सूझाव के रूप में यह रखा है कि मृतक श्याम नरायण उसके पत्नी चन्दा देवी पी०डब्लू०-6 का दुर्गावती देवी व उसके पति राजनरायण वर्मा तथा उसके बच्चे अवधेश वर्मा, रविन्द्र वर्मा के बीच में खेत के बंटवारा को लेकर झगड़ा चल रहा था और उसी के कारण घटनास्थल पर मारपीट हुई । घटनास्थल पर घटना की तिथि व समय पर मारपीट होना बचाव पक्ष को स्वीकार भी है और इसे अभियोजन साक्षीगण ने साबित भी किया है । बचाव पक्ष ने जो घटना के संबंध में अपना पक्ष रखा है उसे साक्ष्य से साबित नहीं किया है ।

उपरोक्त अवधार्य प्रश्न के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के द्वारा एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में जान से मारने की नियत से मृतक श्याम नरायण को लाठी, फावड़ा, फरसा, टांगी से प्रहार कर गम्भीर चोटें कारित की गई । जिसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय बलिया ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई । अतः अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 302/149 भा०दं०सं० का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति-युक्त संदेहों से परे साबित किया गया है ।

उपरोक्त अवधार्य प्रश्न के विश्लेषण एवं अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के द्वारा एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में जान से मारने की नियत से मजरूब राजनरायण वर्मा, अवधेश वर्मा, रविन्द्र वर्मा व दुर्गावती देवी को लाठी,

डण्डा, फावड़ा, फरसा, टांगी से प्रहार कर गम्भीर चोटें कारित की गई । इसी मारपीट के दौरान मृतक श्याम नरायण की मृत्यु हो गई अर्थात अभियुक्तगण का आशय जान से मारने का ही था । डॉ० रोहित रंजन पी०डब्लू०-5 ने अपने साक्ष्य में मजरूब रविन्द्र के ललाट के मध्य तथा ऊपरी हिस्से में फटा हुआ घाव एवं मजरूब अवधेश कुमार वर्मा के सिर के दांऐ एवं बांऐ हिस्से में दो चोटों का गहरा फटा हुआ घाव होने का साक्ष्य दिया है । उक्त मजरूबों के मर्म स्थल पर जान से मारने की नियत से बारम्बार प्रहार किया गया है । अतः अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 307/149 भा०दं०सं० का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति-युक्त संदेहों से परे साबित किया गया है ।

उपरोक्त अवधार्य प्रश्न के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के द्वारा एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में जान से मारने की नियत से मजरूब राजनरायण वर्मा, अवधेश वर्मा, रविन्द्र वर्मा व दुर्गावती देवी को एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी, डण्डा एवं खतरनाक आयुध फावड़ा, फरसा, टांगी से प्रहार कर गम्भीर चोटें कारित की गई । जिस कारण मजरूब राजनरायण पी०डब्लू०-4 के दाहिने हाथ में फ्रेक्चर हो गया एवं अन्य मजरूबों अवधेश वर्मा, रविन्द्र वर्मा व दुर्गावती देवी के शरीर पर गम्भीर चोटें आई है । अतः अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 323/149, 324/149 व 325/149 भा०दं०सं० का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति-युक्त संदेहों से परे साबित किया गया है ।

उपरोक्त अवधार्य प्रश्न के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के द्वारा घटना कारित करने के पश्चात मजरूबान राजनरायण वर्मा, अवधेश वर्मा, रविन्द्र वर्मा व दुर्गावती देवी को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए । अतः अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 506 भाग-2 भा०दं०सं० का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति-युक्त संदेहों से परे साबित किया गया है ।

उपरोक्त अवधार्य प्रश्न के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 504 भा०दं०सं० के सन्दर्भ में अभियोजन साक्षीगण के द्वारा भद्दी-भद्दी गाली देने का कथन किया गया है, लेकिन उनके साक्ष्य में गाली गलौज के किसी विशेष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे प्रकोपित होकर लोक शान्ति भंग होना साबित होता हो । अतः अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 504 भा०दं०सं० का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्ति-युक्त संदेहों से परे साबित नहीं किया जा सका है ।

उपरोक्त सभी अवधार्य बिन्दुओं में किए गए विशलेषण एवं निष्कर्ष के आधार पर मैं इस मत का हूं कि शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के विरूद्ध धारा 147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 324/149, 325/149, 506 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपो को सभी संदेहो से परे साबित करने में अभियोजन सफल रहा है। धारा 504 भा०दं०सं० के आरोप को अभियोजन साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है ।

अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा 147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 324/149, 325/149, 506 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाने योग्य है। आरोप अंतर्गत धारा 504 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा 147, 148, 302/149, 307/149, 323/149, 324/149, 325/149, 506 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा 504 भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा जमानत पर है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। उनके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

शास्ति के बिंदु पर सुनवाई हेतु अभियुक्तगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्ठू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा की पत्रावली दिनांक 06-08-2026 को पेश हो।

दिनांक-04.08.2026

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया ।
ID No: UP6529

यह निर्णय, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक- 04.08.2026

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया ।
ID No: UP6529

<u>दिनांक 06.08.2026</u>

आज पत्रावली शास्ति के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गई।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित आए।

दोषसिद्धगण की ओर से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि दोषसिद्धगण गरीब लोग हैं तथा वृद्ध हैं । अतः कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए तथा जुर्माना भी कम लगाया जाना चाहिए । दोषसिद्धगण की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है ।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने तर्क देते हुए स्वीकार किया कि वर्तमान प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी की हत्या का नहीं है । मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था । अतः जुर्माना की राशि अधिक से अधिक लगाई जानी चाहिए और मृतक के परिजन को क्षतिपूर्ति भी दी जानी चाहिए ।

उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में मैंने सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्य का पुनः परिशीलन किया।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 01 (एक) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 (तीन) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से,

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 02 (दो) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 (छः) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से,

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं रूपये 50,000/- (पचास हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 (तीन) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से,

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-307/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 10 (दस) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 (दो) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से,

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 01 (एक) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 1,000/- (एक हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 (तीन) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से,

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-324/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 02 (दो) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5,000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 (छः) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से,

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-325/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 04 (चार) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5,000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 (एक) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से,

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा- 506 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 04 (चार) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5,000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 (एक) वर्ष माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किए जाने से न्याय की मंशा पूर्ण हो जाएगी।

आदेश

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 01 (एक) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 (तीन) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 02 (दो) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 (छः) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-302/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं रूपये 50,000/- (पचास हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 (तीन) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-307/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 10 (दस) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 (दो) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-323/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 01 (एक) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 1,000/- (एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 (तीन) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-324/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 02 (दो) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5,000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 (छः) माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा-325/149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 04 (चार) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5,000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 (एक) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को धारा- 506 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक को 04 (चार) वर्ष के साधारण कारावास एवं रूपये 5,000/- (पांच हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 (एक) वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतेंगे।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । सत्र परीक्षण सं0-173/2019 धारा-428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जेल में बिताई गई अवधि को इस दण्ड की मात्रा में समायोजित किया जाएगा।

धारा 357 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत जुर्माने की धनराशि में से पचास प्रतिशत प्रतिकर के रूप में मृतक की पत्नी को दिया जाए ।

सजा-अधिपत्र बनाकर दोषसिद्धगण शुक्ला उर्फ शुकुल वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, शिवमुनी वर्मा, छट्टू वर्मा, अरविन्द वर्मा, शिवजी वर्मा, जीतन वर्मा, जवाहिर वर्मा, मंगरू वर्मा को दण्ड भोगने हेतु जिला कारागार बलिया प्रेषित किया जावे।

इस निर्णय व आदेश की एक प्रति दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदान की जाए।

इस सत्र परीक्षण में यदि कोई वस्तु प्रदर्श है तो उसका निस्तारण अपील अवधि समाप्त होने के उपरान्त विधि अनुसार निस्तारित किया जायेगा तथा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार वस्तु प्रदर्श के निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।

इस निर्णय व आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, बलिया को नियमानुसार प्रेषित की जाए।

दिनांक 06.08.2026

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश,
बलिया।
ID No:UP6529

यह निर्णय व आदेश, आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 06.08.2026
Steno-R.K.Yadav

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश,
बलिया।
ID No:UP6529